34

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

"एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा"

चौंतीसवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अप्रैल, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

चौंतीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

"एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा"

01.04.2022 **को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**
01.04.2022 **को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।**

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अप्रैल, 2022/ चैत्र, 1944(शक)

विषय-सूची

समिति की संरचना (2021-22)		
प्राक्कथन		
अध्याय- एक	प्रतिवेदन परिचय	1
अध्याय- दो	ईएमआरएस की स्थापना	4
अध्याय- तीन	ईएमआरएस के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता	17
अध्याय- चार	जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक सोसाइटी (एनईएसटीएस)	21
अध्याय- पांच	मानव संसाधनों की भर्ती	27
अध्याय- छह	निर्माण लागत और बजट	33
अध्याय- सात	प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का क्षमता निर्माण	39
अध्याय- आठ	विद्यालय अवसंरचना	43
अध्याय- नौ	ईएमआरएस का कार्य-निष्पादन	52
अध्याय- दस	खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र	58
अध्याय- ग्यारह	ईएमआरएस को सीबीएसई से संबद्धता	61
	अनुबंध	
एक.		
दो.		
	परिशिष्ट *	

* बाद में जोड़ा जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती संगीता आजाद
3. श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज'
4. श्रीमती प्रमिला बिसाई
5. श्री थॉमस चाजिकाडन
6. श्री छतर सिंह दरबार
7. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
8. श्रीमती मेनका संजय गांधी
9. श्री हंस राज हंस
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्रीमती रंजीता कोली
12. श्रीमती गीता कोडा
13. श्री विजय कुमार
14. श्री अक्षयवर लाल
15. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
16. श्री अर्जुन सिंह
17. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
18. श्री के. षणमुग सुंदरम
19. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
20. श्री तोखेहो येपथोमी
21. रिक्त [#]

राज्य सभा

22. श्रीमती झरना दास बैद्य
23. श्रीमती रमिलाबेन बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्री एन. चंद्रशेखरन
26. श्रीमती गीता उर्फ़ चन्द्रप्रभा
27. श्रीमती ममता मोहंता
28. श्री नारायण कोरागप्पा [*]
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री रामकुमार वर्मा
31. श्री रामजी [*]

---

[*] समिति में 23.12.2020 से नामित

[#] केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्ति के पश्चात श्री पशुपति नाथ पारस 07.07.2021 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक (देव) अधिकारी
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतरसिंह दरबार
8. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
9. श्रीमती मेनका संजय गांधी
10. श्री हंस राज हंस
11. श्री के. षणमुग सुंदरम
12. श्री अब्दुल खालेक
13. श्रीमती रंजीता कोली
14. श्रीमती गीता कोड़ा
15. श्री विजय कुमार
16. श्री अक्षयवर लाल
17. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
18. श्री अर्जुन सिंह
19. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
20. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला
23. श्रीमती झरना दास बैद्य
24. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
25. श्री अबीर रंजन बिस्वास
26. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
27. श्री एन. चंद्रशेखरन
28. श्री नारायण कोरागप्पा
29. श्रीमती ममता मोहंता
30. श्रीमती छाया वर्मा
31. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
3. श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से "एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा" संबंधी चौंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान जांच हेतु 'एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय का चयन किया था। समिति को जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा 30.06.2021 को आयोजित बैठक में इस विषय पर जानकारी दी गई थी और समिति ने 26.08.2021 को उनका साक्ष्य लिया था।

3. समिति 'एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों (ईएमआरएस) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और समिति द्वारा वांछित सामग्री और सूचना प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है। समिति इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है। समिति ने 31.03.2022 को आयोजित अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। संबंधित बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के परिशिष्ट में दिए गए हैं।

4. संदर्भ की सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

नई दिल्ली;
31 मार्च, 2022
10 चैत्र, 1944 (शक)

अध्याय-एक

प्रस्तावना

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की स्थापना वर्ष 1999 में समाज के सबसे वंचित वर्ग अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास पर समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी स्थापना के बाद से, देश भर में जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इनमें से, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना मंत्रालय के मुख्य ध्यान संकेन्द्रण में से एक रहा है क्योंकि शैक्षिक विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में एक सहायक प्रयास है और समग्र सशक्तिकरण के लिए सबसे प्रभावी साधन भी है।

1.2 तदनुसार, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) वर्ष 1997-98 में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और पीवीटीजी छात्रों (कक्षा 6 वीं से 12 वीं) को पाठ्येतर गतिविधियों के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए थे, ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसर मिल सकें और उन्हें सामान्य जनता के समकक्ष लाया जा सके। प्रारंभ में, इस योजना का वित्तपोषण एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान के अंतर्गत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, 288 विद्यालयों को संस्वीकृत किया गया था जिनमें भूमि प्रदान करना, विद्यालयों का निर्माण, शिक्षकों की भर्ती और विद्यालयों का प्रबंधन राज्यों का दायित्व था।

1.3 ईएमआरएस के महत्व को समझते हुए, सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की कि सरकार जनजातीय बच्चों को उनके अपने के वातावरण में सर्वोत्तम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मिशन को पूरा करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक, ऐसे प्रत्येक ब्लॉक जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से अधिक और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति होंगे, वहां एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य आदर्श विद्यालय नवोदय विद्यालय के स्तर के होंगे और वहां खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष

सुविधाएं होंगी"। उपरोक्त बजट घोषणा के संदर्भ में, आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17.12.18 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ ईएमआरएस योजना में संशोधन की स्वीकृति दी।

परिणामस्वरूप, ईएमआरएस की एक अलग संशोधित योजना तैयार की गई जिसकी निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं :

1. 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 480 छात्रों के क्षमता वाले विद्यालय स्थापित करना।

2. 90% या अधिक अजजा आबादी और 20,000 या अधिक जनजातीय व्यक्तियों वाले उप-जिलों में एकलव्य आदर्श दिवा छात्रावास विद्यालय (ईएमडीबीएस) की स्थापना करना ।

3. शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ पाठ्येतर गतिविधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ईएमआरएस के मामले में न्यूनतम 15 एकड़ और ईएमडीबीएस के मामले में 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना ।

4. मैदानी क्षेत्र के लिए 37.80 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय और पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालयों के लिए 48.00 करोड़ रुपये की निर्माण लागत।

5. ईएमआरएस के मामले में प्रति छात्र प्रति वर्ष 1.09 लाख रूपये और ईएमडीबीएस के मामले में 0.85 लाख रूपये का आवर्ती अनुदान ।

6. जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में स्थापित जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी विद्यालयों की स्थापना, वित्त देना, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए और ऐसे विद्यालयों के प्रचार के लिए आवश्यक या अनुकूल सभी कार्यों और चीजों को करना।

7. जनजातीय बहुल जिलों में सभी संबंधित बुनियादी ढांचे (भवन, उपकरण आदि) के साथ खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, जिसमें किसी राज्य के दो पहचाने गए खेलों (एक समूह खेल और एक व्यक्तिगत खेल सहित) के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।

8. गैर-अजजा छात्रों द्वारा 10% तक सीटों का उपयोग। ईएमआरएस स्टाफ के बच्चों, वामपंथ उग्रवाद और विद्रोह के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों, विधवाओं के बच्चों, दिव्यांग माता-पिता के बच्चों आदि को प्राथमिकता दी जाएगी

9. खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले योग्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए खेल कोटे के तहत 20% सीटों का आरक्षण।

1.4 व्यय विभाग और आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट समिति(सीसीईए) ने वर्ष 2018 में उप-जिलों में 452 नए ईएमआरएस/ईएमडीबीएस की स्थापना को मंजूरी दी। कुल 740 (288 पुराने +452 नए) विद्यालयों में से, जिन्हें 31.3.2022 तक संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है, 13.07.2021 तक 620 विद्यालयों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 367 कार्य कर रहे हैं। सभी मौजूदा और नए विद्यालयों को ईएमआरएस योजना के तहत लाया गया है। जनजातीय छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसएस) की स्थापना की गई है जो इन विद्यालयों के प्रबंधन के लिए राज्य ईएमआरएस सोसाइटियों के साथ समन्वय करेगी।

अध्याय - दो

ईएमआरएस की स्थापना

(एक) पुराने ईएमआरएस का निर्माण

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 13.07.2021 को प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत स्वीकृत 288 विद्यालयों में से 244 विद्यालयों को कार्यात्मक बनाया गया है। अनुच्छेद में निहित प्रावधान के अनुसार, ईएमआरएस के निर्माण के लिए निधियां राज्य विशेष के लिए निधियों के आवंटन पर निर्भर थीं जो लंबित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन थीं। मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 202 विद्यालयों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 66 निर्माणाधीन हैं और 20 विद्यालयों के लिए निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

2.2 66 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारणों और शेष 20 विद्यालयों का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्योपरांत उत्तर के अनुलग्नक-1 से समिति ने पाया कि 66 विद्यालयों के संबंध में कार्य पूरा करने की तारीख दिसंबर 2021 से अक्टूबर, 2024 के बीच भिन्न भिन्न हैं, सिवाय दो विद्यालयों अर्थात् बाजपुर, उत्तराखंड के मामले में जहां अदालत से स्टे है और कालिम्पोंग, पश्चिम बंगाल के मामले में, जहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जहां तक उन 20 विद्यालयों का संबंध है जहां निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, यह पाया गया है कि 5 विद्यालयों के मामले में निविदा प्रक्रिया चल रही है, 6 विद्यालयों के लिए भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है, 5 विद्यालयों के लिए निर्माण एजेंसी को चुनने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है, 2 विद्यालयों के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है और भूमि के पहचान की प्रक्रिया चल रही है और एक विद्यालय के लिए वन एवं भूमि के उपयोग में परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है।

2.3 उन विद्यालयों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर जहां निर्माण पूरा हो गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया :

"195 विद्यालयों ने अपने स्वयं के भवन से काम करना शुरू कर दिया है और शेष 3 विद्यालयों का कार्यकरण शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान शुरू किये जाने की उम्मीद है।"

2.4 यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से 2018-19 से पहले स्वीकृत कई विद्यालयों को आज तक कार्यात्मक नहीं बनाया गया है और क्यों कुछ मामलों में निर्माण कार्य या तो शुरू नहीं हुआ है या प्रगति पर है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ साथ निम्नवत बताया:

"पुरानी योजना के तहत निर्माण की धीमी प्रगति के कारणों में से एक यह था कि ईएमआरएस के निर्माण के लिए निधि जारी करना अनुच्छेद 275 (1) के तहत विशेष राज्य के लिए निधियों के आवंटन के हिस्से पर निर्भर था जो लंबित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन था। इसलिए, राज्य सरकारों के पास निधियों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्थानों पर निर्माण की अवधि भिन्न-भिन्न होती है। इसके अन्य कारण क्षेत्र, पहुंच, स्थलाकृति, बाधाओं से मुक्त आदि के संदर्भ में उपयुक्त भूमि की पहचान करने में विलंब होना आदि थे। उपयुक्त स्थल की पहचान की प्रक्रिया के दौरान कुछ राज्यों ने स्थानों की दूरस्थता को देखते हुए आवासीय विद्यालय के लिए उपयुक्त वैकल्पिक भवन की पहचान करने में कठिनाइयां व्यक्त की हैं।"

2.5 पुराने विद्यालयों को ग्रांट देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में पूछे जाने पर सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत कहा :

"वर्ष 2018-19 के पहले के जितने विद्यालय थे, उनमें हम ग्रांट देते थे, लेकिन बनाने का और सुपरविजन का काम राज्य सरकार का होता था। 275(1) के ग्रांट में ऐसा नहीं था कि यहां से हम पूरा का पूरा सैंक्शन कर दें, उसमें से कुछ भाग राज्य सरकार अपनी तरफ से भी देती थीं।"

2.6 उन्होंने आगे कहा :

"पहले जो सैंक्शन होता था, उसमें इतना डिटेल में न जाकर जैसे ही लैंड की रिक्विजिशन आती थी, हम लोग सैंक्शन कर देते थे। बाद में हम लोगों ने पाया कि एक प्लॉट में हमें

जमीन नहीं मिली, बीच में या तो रोड है या कोई प्राइवेट जमीन आ गई है या वहाँ पर इतनी पथरीली जमीन है कि वहाँ पानी नहीं मिल सकता है।"

2.7 यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वीकृत पुराने विद्यालयों का निर्माण किया जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने स्वयं के भवनों में उनका कार्यकरण शुरू किया जाए, योजना के पुनर्गठन के बाद मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के संबंध में, मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत उत्तर में कहा कि:

"केन्द्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य सरकारों के इंजीनियरिंग विंग को निर्माण कार्य सौंपा गया है। नेस्ट द्वारा निर्माण कार्य की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। सभी विद्यालयों का निर्माण अब एक समान डिजाइन पर किया जा रहा है; हालांकि, साइट विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार संशोधनों की अनुमति दी जा रही है।"

2.8 समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि 1997-98 में स्वीकृत 288 विद्यालयों में से, जो कि 2018-19 में ईएमआरएस योजना के नवीनीकरण से पहले के हैं, केवल 244 विद्यालयों को ही कार्यात्मक बनाया जा सका है। उन्होंने आगे पाया कि अब तक केवल 202 विद्यालयों का ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया है और 20 विद्यालयों का निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है, जबकि 66 विद्यालयों का ही निर्माण कार्य अक्टूबर, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जिस गति से कार्य प्रगति कर रहा है, वह काफी धीमी प्रतीत हो रही है। योजना के दो दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में होने के बावजूद केवल 202 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। आज तक 20 विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका, हालांकि इसे 2018-19 में योजना के नवीनीकरण के पश्चात केंद्रीय/राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपा गया था। समिति का दृढ़ मत है कि निविदा प्रक्रिया, भूमि अंतरण, निर्माण एजेंसी का अंतिम रूप से चयन आदि से संबंधित नियमित मुद्दों को महीनों तक लटकाकर नहीं रखा जा सकता है और जब लक्ष्य पूरा करने की तारीख निर्धारित है तो कार्य में अत्यधिक विलंब नहीं किया जा सकता। समिति का मानना है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए गतिशील उपाय करने चाहिए, कि योजना के परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कम से कम, सभी 288 पुराने स्वीकृत विद्यालयों को समयबद्ध तरीके से अपने स्वयं के भवनों से क्रियाशील बनाया जाए। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय ठोस कदम उठाए ताकि 66

विद्यालयों का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार पूरा किया जा सके और शेष 20 विद्यालयों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके ताकि सभी पुराने विद्यालयों को उनके अपने भवनों से कार्यात्मक बनाया जा सके। चूंकि, कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से शिक्षण गतिविधियां शुरू नहीं की गई हैं, अब यह और भी जरूरी हो गया है कि कम से कम आदिवासी बच्चों को अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए विद्यालय की सुविधा मिलनी चाहिए, विशेषकर जब दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा संभव नहीं है। अत: समिति को इस संबंध में अवगत कराया जाए।

(दो) नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना

2.9 ईएमआरएस के संशोधित मानदंडों के अनुसार वर्ष 2022 तक, ऐसे प्रत्येक ब्लॉक जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से अधिक और कम से कम 20,000 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के होंगे, में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश भर में 564 उप-जिले हैं अर्थात् ऐसे ब्लॉक /तालुका / तहसील जहां की 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति हैं। इन उप-जिलों में से, योजना की शुरुआत में 102 उप-जिलों में ईएमआरएस की स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 2022 तक शेष 462 उप-जिलों में नए ईएमआरएस स्थापित करने का प्रस्ताव था।

2.10 पहचान किए गए जिन उप-जिलों (90% या उससे अधिक) में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का घनत्व अधिक है, वहां आवासीय सुविधा के बिना विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय (ईएमडीबीएस) स्थापित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की मांग के आधार पर ऐसे 12 ई एमडीबीएस स्थापित किए जाएंगे। ईएमडीबीएस की विशेषताएं ईएमआरएस के समान रहेंगी सिवाय इसके कि ईएमडीबीएस में कोई आवासीय सुविधा नहीं होगी, भूमि की आवश्यकता 5 एकड़ की होगी, सुबह के स्नैक्स, दोपहर के भोजन और शाम के स्नैक्स, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ समन्वय से परिवहन सुविधा और प्रति वर्ष मौजूदा 85000 रुपये प्रति छात्र की दर से आवर्ती लागत का प्रावधान होगा।

2.11 चरणबद्ध योजना के अनुसार, नए विद्यालयों को निम्नलिखित तरीके से स्वीकृत किया जाना है::

वर्ष	संस्वीकृत किये जाने वाले विद्यालयों की संख्या	अब तक संस्वीकृत विद्यालय
2018-19	50	50
2019-20	150	100
2020-21	150	150
2021-22	152	32
कुल	452	332

अभी तक संस्वीकृत 332 विद्यालयों में से 174 विद्यालयों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और मास्टर लेआउट प्लान संस्वीकृत किया गया है 100 विद्यालयों के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है

2.12 ईएमआरएस को स्वीकृति देने के लिए विहित प्रक्रिया के संबंध में मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत उत्तर के माध्यम से बताया :

"राज्य सरकार भूमि के सटीक स्थान पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक स्थान के लिए एक प्रारंभिक भूमि उपयुक्तता रिपोर्ट प्रस्तुत करती है; जिसमें भूमि के प्रकार; चिन्हित भूमि का क्षेत्र; एप्रोच रोड, पेयजल, बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता की स्थिति; कोई

अतिक्रमण आदि का विवरण होता है । इस प्रारंभिक रिपोर्ट की नेस्टस द्वारा जांच की जाती है और जनजातीय कार्य मंत्रालय को की गई सिफारिश पर 'अनंतिम स्वीकृति' प्रदान की जाती है। अनंतिम स्वीकृति के आधार पर, राज्य सरकार को भूमि का सीमांकन, भूमि अलगाव और फिर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसायटी के नाम पर भूमि के हस्तांतरण सहित सभी भूमि औपचारिकताओं को पूरा करना अपेक्षित है। औपचारिकताओं को पूरा करने और प्रासंगिक अभिलेखों को प्रस्तुत करने पर, एनईएसएस निर्माण एजेंसी को निर्माण-पूर्व कार्य शुरू करने के लिए एक "औपचारिक स्वीकृति" प्रदान करता है।

भूमि की उपलब्धता और उपयुक्तता के आधार पर औपचारिक स्वीकृति जारी किए जाने के बाद, भूमि का सीमांकन, सर्वेक्षण और मृदा जांच रिपोर्ट, मास्टर लेआउट प्लान (एमएलपी) तैयार करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियों को संबंधित राज्यों के परामर्श से निर्माण एजेंसियों द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यों को 5-6 महीनों में निर्माण पूर्व गतिविधियों को पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके बाद 18 महीने में निर्माण कार्य पूरा किया जाना होता है। इस प्रकार निर्माण पूर्व गतिविधियों और निर्माण कार्य के लिए 24 महीने की अवधि निर्धारित की गई है ”

2.13 इस संबंध में, मंत्रालय ने आगे अपने उत्तर में कहा कि: :

“एमएलपी और डीपीआर की जांच के बाद विद्यालयों का निर्माण शुरू करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। एनईएसटी में एक समर्पित निर्माण विंग इन दस्तावेजों की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ये नेस्ट द्वारा निर्धारित भौतिक और वित्तीय मानदंडों के अनुसार हैं। गुणवत्ता मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी/एनआईटी से गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसियों को सौंपा जा रहा है।

नेस्ट्स में एक समर्पित टीम इन विद्यालयों के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए राज्यों और निर्माण एजेंसियों के साथ लगातार अनुसरण करती है। नेस्ट्स ने इन 452 नए विद्यालयों में से प्रत्येक के लिए निर्माण एजेंसी नियुक्त की है, जिन्हें निर्माण - पूर्व और

निर्माण गतिविधियों के लिए राज्यों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है।”

2.14 2018-19 से नए विद्‌यालयों के निर्माण के लिए स्वीकृत धन, निर्मित नए विद्‌यालयों की संख्या, अपने स्वयं के भवन से कार्यात्मक बनाए गए विद्‌यालयों और वैकल्पिक भवन से काम करने वाले विद्‌यालयों के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया:

वर्ष	नये विद्‌यालयों के लिए संस्वीकृत निधि (लाख में)	अपने भवन से कार्य कर रहे विद्‌यालय	एकान्तर भवन से कार्य कर रहे विद्‌यालय
2018-19	2312.00	3	18
2019-20	7212.00	5	35
2020-21	38181.40	12	50
2021-22	17128.83	0	0

2.15 स्वीकृत विद्‌यालयों को यथाशीघ्र क्रियाशील बनाने के लिए किए गए उपायों के संबंध में मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत उत्तर के माध्यम से समिति को बताया:

"राज्य को औपचारिक स्वीकृति दिए जाने के बाद विद्‌यालय के निर्माण को पूरा करने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। भवन का निर्माण पूरा होने तक बीच के समय में

राज्यों को अस्थायी वैकल्पिक उपयुक्त भवनों की पहचान करने और विद्यालयों को कार्यात्मक बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों को सलाह दी गई है कि आरम्भ में वे ऐसे विद्यालयों में शुरू में कक्षा 6 वीं से 8 वीं के छात्रों को प्रवेश दें। मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक ईएमआरएस विद्यालय में 480 छात्रों के साथ 6 वीं से 12 वीं कक्षा तक की कक्षाएं होंगी। 6 वीं -10 वीं से 2 वर्गों में प्रत्येक में 30 छात्रों का प्रावधान है और 11 वीं और 12 वीं के लिए वाणिज्य, कला और विज्ञान की 3 धाराएं होंगी [(5x2X30 = 300) + (30 X 3 X2 = 180) = 480 छात्र]। अस्थायी भवन के आकार और शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर, विद्यालय विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं, ताकि निर्माण पूरा होने तक, आठवीं कक्षा का छात्र दसवीं कक्षा तक पहुंच जाए। इससे विद्यालय भवन पूरा होने पर छात्रों और शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित रहेगी । तथापि, कुछ राज्यों को स्थानों की दूरस्थता और विद्यालयों की खोज करने में कठिनाइयां सामने आती हैं और वे भवन का निर्माण पूरा होने पर ही विद्यालयों को कार्यकरण आरम्भ करना पसंद करते हैं। दूसरे, विद्यालय का कार्यकरण अकादमिक सत्र की शुरुआत के साथ मेल खाना चाहिए। यद्यपि इन बाधाओं और आवश्यकताओं के आधार पर 620 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, परन्तु केवल 367 ही कार्य कर रहे हैं। राज्यों को स्थायी शिक्षकों की भर्ती की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से ऐसे सभी विद्यालयों का कार्यकरण आरम्भ किया जा सके जहां प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और निर्माण शुरू कर दिया गया है। "

2.16 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय अगस्त 2023 तक 740 ईएमआरएस स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा, विशेषतः यह देखते हुए कि अभी तक केवल 367 विद्यालयों को कार्यात्मक बनाया गया है और परियोजना की धीमी गति के कारणों के संबंध में, मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत उत्तर में समिति को बताया कि:

"सीसीईए द्वारा अनुमोदित चरणबद्ध योजना के अनुसार, मार्च 2022 तक सभी 740 विद्यालयों को स्वीकृति दी जानी है। आज की तारीख तक, 620 विद्यालय पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और संबंधित राज्यों से भूमि के ब्यौरे प्राप्त होने की शर्त के अध्यधीन शेष 120 को इस वित्तीय

वर्ष के दौरान स्वीकृत किया जाएगा । इसके अलावा, निर्माण कार्य का पूरा होना और विद्यालयों को कार्यात्मक बनाना दो समानांतर गतिविधियां हैं जो एक साथ चल सकती हैं।”

श्रेणी	लक्ष्य	संस्वीकृत विद्यालय	निर्माण कार्य पूरा हुआ	निर्माणाधीन	आरम्भ नहीं हुआ
पुराने विद्यालय (अनुच्छेद 275 के तहत संस्वीकृत)	288	288	198+4	70	20
नये विद्यालय (सीसीईए संस्वीकृति के अनुसार)	452	332	0	100	232
कुल	740	620	198+4	170	252

2.17 मंत्रालय ने 740 विद्यालयों को संस्वीकृति देने ,उन्हें कार्यात्मक बनाने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित की हैं :

(एक) सीसीईए द्वारा यथा स्वीकृत 2022 तक शेष 120 विद्यालयों (740-620) को औपचारिक स्वीकृति - मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ जोर शोर से प्रयास कर रहा है कि ऐसे प्रत्येक विद्यालय के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान की जाए। यदि उस ब्लॉक में भूमि उपलब्ध नहीं है या वन स्वीकृति अथवा मुकदमेबाजी जैसे मुद्दे लंबित हैं, तो मंत्रालय उसी या पड़ोसी ब्लॉक में स्थान परिवर्तन के मामले-दर-मामला आधार पर विचार कर रहा है।

(दो) उन विद्यालयों को कार्यात्मक बनाएं जहां निर्माण शुरू हो गया है और 2022-23 के अगले शैक्षणिक सत्र से स्थायी शिक्षकों को नियुक्त किया गया है।

(तीन) मार्च 2022 तक उन सभी 620 विद्यालयों में निर्माण शुरू करें जहां अनंतिम मंजूरी दी गई है और निर्माण पूर्व गतिविधियां चल रही हैं। स्वीकृत 620 विद्यालयों में से 252 विद्यालय ऐसे हैं, जहां 31.03.2022 तक निर्माण शुरू किया जाना है।

(चार) सभी स्वीकृत विद्यालयों का निर्माण 2025 तक पूरा करने के प्रयास किये जा रहे है। महामारी के कारण जमीनी स्तर पर काम प्रभावित हुआ। स्थानीय स्थिति में सुधार के आधार पर, निर्माण एजेंसियों को काम की गति बढ़ाने की सलाह दी गई है।

(पांच) इस बीच, जबकि विद्यालयों का निर्माण प्रगति पर है, राज्यों को नियमित रूप से सलाह दी जा रही है कि वे विद्यालयों को वैकल्पिक भवनों से कार्यात्मक बनाएं बशर्ते इन विद्यालयों को चलाने के लिए नियमित शिक्षकों की उपलब्धता हो।

(छः) विद्यालयों की प्रगति की निगरानी करने और मास्टर लेआउट योजनाओं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, भूमि अभिलेखों की जांच आदि के अनुमोदनों को सुविधाजनक बनाने के लिए नेस्टस में एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग भी स्थापित की गई है।

2.18 सभी विद्यालयों को कार्यात्मक बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समिति के साथ विचार-विमर्श के दौरान कहा कि:

“बहुत से अभी स्टॉर्ट नहीं हुए हैं। मैंने अभी राज्य के साथ रिव्यू किया था। कहीं-कहीं पर जमीन *पूरी* भी नहीं है। हिली एरिया में एक समस्या यह रहती है कि 15 एकड़ का एक साथ ब्लॉक मिलना और वह भी लेवल पर, वह थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हिली एरिया में जमीन का थोड़ा इश्यू रहता है।”

2.19 एक ब्लॉक में जहां जनजातीय आबादी 20,000 से कम है, ईएमआरएस की स्थापना के प्रावधानों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को साक्ष्य के दौरान सूचित किया कि :

“अभी हम लोगों के जो नॉर्म्स हैं, अभी जो गाइडलाइन है, जो कैबिनेट से एप्रूव्ड है, वह यह है कि एक ब्लॉक में, हम ब्लॉक को एक यूनिट मान रहे हैं, वहाँ पर जनजातीय जनसंख्या 20 हजार होनी चाहिए और 50 प्रतिशत से अधिक लोग वहाँ होने चाहिए। हम लोगों का यह एक पैमाना है।”

2.20 उपलब्ध किसी विकल्प के बारे में और अधिक जानकारी मांगे जाने पर ताकि स्वीकृत विद्यालयों को यथाशीघ्र कार्यात्मक बनाया जा सके, उन मामलों में जहां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विद्यालयों के लिए भूमि का अधिग्रहण करने में सक्षम नहीं हैं, मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत उत्तर में समिति को अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि :

“नेस्टस की स्थापना के साथ नई योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि ईएमआरएस को तभी स्वीकृत किया जाए जब उपयुक्त भूमि की पहचान कर ली गई हो और इसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता हो। बहुत विशिष्ट उदाहरणों में जहां राज्यों ने किसी विशेष ब्लॉक में भूमि की अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया है, तो उन्हें प्रवेश के दौरान मूल स्थान के छात्रों को प्राथमिकता देते हुए पड़ोसी ब्लॉक में विद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकारों के अनुरोधों के आधार पर, विशेषकर पहाड़ी स्थानों पर अपेक्षित भूमि के क्षेत्रफल में छूट दी गई है। इस तथ्य को देखते हुए कि राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि विद्यालयों को वैकल्पिक भवनों से कार्यात्मक बनाया जाए, जबकि स्वयं के भवन का निर्माण चल रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिकतम विद्यालयों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यात्मक बनाया जाए।”

2.21 शेष 120 विद्यालयों को स्वीकृत करने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के संबंध में तथा सभी 720 विद्यालयों का निर्माण पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य के संबंध में साक्ष्योपरांत उत्तर में समिति को बताया गया :

"120 में से 18 स्थानों को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। शेष 102 स्थानों के लिए प्रक्रिया जारी है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि की पहचान किए जाने के बाद इसे पूरा कर लिया जाएगा। आवश्यक धनराशि की उपलब्धता के अधीन 720 विद्यालयों का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।”

2.22 जनजातीय कार्य मंत्रालय सचिव ने कहा कि :

"हमारा जो अभी सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वह है - नए एकलव्य विद्यालयों की मंज़ूरी, उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था का निर्माण करना। 50 से अधिक स्थानों पर जमीन उपलब्ध होने के साथ ही एस्टीमेट वगैरह को स्वीकृत करने की प्रक्रिया कर दी गई है। अभी पिछले महीने हमारे माननीय मंत्री जी ने पाँच एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला का शुभारम्भ किया था। उसमें माननीय समिति के सदस्य महोदय ने भी भाग लेकर हमारा उत्साहवर्द्धन किया था।"

2.23 ईएमबीडीएस की स्थिति और इस अवधारणा को लागू करने के कारणों के बारे में पूछने पर, मंत्रालय द्वारा समिति को अन्य बातों के साथ साथ बताया गया कि :

"व्यय विभाग और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदित 452 विद्यालयों में राजस्थान, त्रिपुरा और गुजरात में एक-एक ईएमपीबीएस भी शामिल है। राजस्थान और त्रिपुरा के विद्यालयों का कार्य प्रगति पर है, तथापि गुजरात में विद्यालय का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। दिवा छात्रावास विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, प्रायोगिक आधार पर इस योजना के पुनरुद्धार के दौरान दिवा छात्रावास विद्यालयों की अवधारणा को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार ईएमडीबीएस स्थापित करने के लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे। तथापि, केवल 3 ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया था।"

2.24 समिति नोट करती है कि मूल लक्ष्य जिसमें यह निर्धारित है कि 12 एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय (ईएमडीबीएस) सहित 452 नये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना शेष 462 उप-जिलों में 2022 तक की जाएगी, लेकिन अब तक इनका कार्य पूरा नहीं हुआ है और इसके पूरा करने के लक्ष्य वर्ष की सीमा को संशोधित करके 2025 कर दिया गया है। समिति यह नोट कर आश्चर्य व्यक्त करती है कि चरणबद्ध योजना के अनुसार 2018-19 से 2021-22 के बीच मंजूरी के लिए प्रस्तावित 452 विद्यालयों में से केवल 350 विद्यालयों को मंजूरी दी जा सकी और शेष 102 विद्यालयों को अभी भी मंजूरी दी जानी शेष है क्योंकि इन विद्यालयों के लिए

स्थान को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह निराशाजनक है कि आज तक मात्र 100 विद्यालयों का निर्माण का कार्य शुरू हो सका है जबकि मार्च, 2022 तक, जो लगभग समाप्त होने वाला है, 332 विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू होना था। समिति इस तथ्य पर निराशा व्यक्त करती है कि मंजूरी के लिए प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या तथा मंजूरी दिए गए विद्यालयों की संख्या और इसके साथ ही निर्माण कार्य के लिए निर्धारित समय-सीमा के मध्य भी पर्याप्त अंतर है। समिति यह भी पाती है कि मंत्रालय निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित 24 माह की मानक समय-सीमा का पालन करने में भी असफल रहा है क्योंकि वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि आज की तारीख तक 350 विद्यालयों में से मात्र 174 विद्यालयों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं मास्टर ले-आउट प्लान तथा 100 विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो सका है। इसके अलावा चिंता की बात यह है कि केवल कुछ विद्यालयों के अपने भवन हैं क्योंकि मात्र 20 विद्यालयों को अपने भवनों से कार्यशील बनाया गया है। 103 विद्यालय 2018-19 से 2021-22 के बीच वैकल्पिक भवनों से कार्यरत हैं। समिति को मार्च, 2025 तक भी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर पूर्ण आशंका है क्योंकि 252 विद्यालयों का निर्माण अभी शुरू होना है। मंत्रालय द्वारा समिति को विश्वास दिलाया गया है कि योजना के नवीकरण के बाद नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राईबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) की स्थापना के बाद इन सब में व्यापक सुधार होगा लेकिन एनईएसटीएस की स्थापना के 2 वर्ष बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए समिति की राय है कि मंत्रालय को एनईएसटीएस की स्थापना के बाद पृष्ठभूमि में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी कार्य संतोषजनक ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्य की प्रगति की सघन निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय विद्यालयों की मंजूरी/निर्माण/कार्यकरण के बारे में निर्धारित मानदंडों/समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर आंतरिक-तंत्र बनाए ताकि ईएमआरएस/ईएमडीबीएस को अपने भवनों से कार्यशील बनाने में कोई विलंब न हो तथा किसी भी चरण पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई चूक न हो।

अध्याय -तीन

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता

3.1 मानकों के अनुसार, जहां तक संभव हो, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निशुल्क अथवा नाममात्र लागत पर विद्यालयों के विकास और विस्तार के लिए स्पष्ट भूमि उपयोग के साथ सभी प्रकार के भार से मुक्त भूमि उपलब्ध कराई जानी होती है। चिन्हित की गई भूमि अधिमानतः उचित सड़क संपर्क के साथ जिला/उप-जिला मुख्यालयों के आस-पास होनी चाहिए। ईएमआरएस की स्थापना के लिए कम से कम 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और एकलव्य आदर्श दिवा छात्रावास विद्यालय (ईएमडीबीएस) की स्थापना के लिए न्यूनतम 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। मंत्रालय ने सूचित किया कि भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पर छूट विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मामले दर मामला आधार पर दी जा सकती है।

3.2 ईएमआरएस के आवश्यक निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत उत्तर में कहा कि:

- 48 छात्रों (लड़के और लड़कियां) के क्षमता वाला विद्यालय पूरी तरह से आवासीय है।

- निर्मित क्षेत्र भवन (विद्यालय, गर्ल्स हॉस्टल, वार्डन निवास, रसोई और भोजन सहित लडकों का हॉस्टल, 15 टाइप III क्वार्टर, 10 टाइप II क्वार्टर, प्रिंसिपल क्वार्टर, गेस्ट हाउस और सेवाओं) के निर्माण के लिए लगभग 02 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।

- खेल के मैदान, बास्केटबॉल, वॉली वॉल, खो-खो से मिलकर लड़कों और लड़कियों के लिए प्रत्येक, तीरंदाजी के लिए लगभग 07 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है

- भूमि निर्माण, वनस्पति उद्यान, कौशल विकास केंद्र, हर्बल गार्डन आदि को 03 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है

- विकास कार्य जैसे सड़क, रास्ता, पार्किंग आदि 02 एकड़ भूमि

• 01 एकड़ भूमि का प्रावधान भावी सभागार/बहुउद्देशीय हॉल आदि के निर्माण के लिए रखा गया है।

3.3 जहां तक ईएमडीबीएस के लिए पूर्व-आवश्यकता के रूप में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता का संबंध है, मंत्रालय ने इसका औचित्य निम्नानुसार दिया है:

निर्मित क्षेत्र की इमारत (विद्यालय , रसोई और भोजन, और सेवाएं) के निर्माण के लिए लगभग 01 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है

• खेल के मैदान, बास्केटबॉल, वॉली वॉल, लड़कों और लड़कियों के लिए खो खो सहित खेल अवसंरचना, तीरंदाजी के लिए अन्य विकास कार्यों सहित लगभग 04 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है.

3.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों द्वारा बताये गये, भूमि की पहचान में विलंब के लिए निम्नलिखित कारण भी प्रस्तुत किए हैं-:

• ईएमआरएस के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है और यदि भूमि उपलब्ध है, तो राजस्व विभाग से भूमि का हस्तांतरण और भूमि से संबंधित अन्य कानूनी दस्तावेजों की व्यवस्था में समय लगता है।

• कई स्थानों पर जहां भूमि की पहचान की गई थी, कई विसंगतियों को भी देखा गया था और मुद्दों को हल करने की प्रक्रिया में समय लगता है।

• कई स्थानों पर पहचान की गई भूमि ईएमआरएस के निर्माण के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं थी। इसलिए, वैकल्पिक भूमि की पहचान की प्रक्रिया का पता लगाया गया था।

• इसके अलावा, कई स्थानों पर पहचानी गई भूमि को बाद के चरण में वन भूमि के रूप में सूचित किया गया था, जिसके लिए भूमि का उपयोग बदलने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता थी।

3.5 जब भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में छूट के उदाहरणों के बारे में पूछा गया और क्या किसी विद्यालय को भूमि की अनुपलब्धता के कारण पहचान किए गए स्थान से अलग स्थान पर स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, तो मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत उत्तर में कहा कि:

"दिशा-निर्देशों के अनुसार, मामला -दर-मामला आधार पर भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में छूट दी जा सकती है जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूमि की अपेक्षित क्षेत्रफल की पहचान करने में कठिनाई होती है। ऐसे मामलों में छूट इस शर्त के अध्यधीन दी जाती है कि उपलब्ध भूमि सभी आवश्यक विशेषताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त होगी और मदों को भवन और लेआउट के विशेष डिजाइन को अपनाकर कवर किया जाता है। इस समस्या की शुरुआत में परिकल्पना की गई थी और इसलिए इसे दिशानिर्देशों में शामिल किया गया था।"

3.6 यह पूछे जाने पर कि क्या ईएमआरएस/ईएमडीबीएस की स्थापना के लिए जनसंख्या का मानदंड हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद निर्धारित किया गया था, मंत्रालय ने साक्ष्योपरांत उत्तर में कहा कि:

"वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, युवा मामलों के विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित संबंधित लाइन हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर मानदंडों का निर्णय लिया गया था।"

3.7 समिति पाती है कि 50% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले उप-जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना के लिए कम से कम 15 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है और 90% अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले उप-जिले में एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) की स्थापना के लिए न्यूनतम 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि दिशानिर्देशों में पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पर छूट के प्रावधान के बावजूद, भूमि वन का तकनीकी रूप से उपयुक्त ना पाया जाना, भूमि का वन क्षेत्र के अंतर्गत आना आदि जैसी कई विसंगतियां सामने आती हैं और चूंकि मुद्दों को हल करने की प्रक्रिया

में समय लगता है, अत: चुनिंदा जिलों में ईएमआरएस की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण में विलंब हो रहा है। समिति का मानना है कि ईएमआरएस के निर्माण के लिए 50% अनुसूचित जनजाति और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों की आबादी वाले उप-जिले में न्यूनतम 15 एकड़ भूमि का मानदंड अव्यावहारिक है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में 15 एकड़ का भूखंड आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ईएमआरएस की स्वीकृति के लिए अनुसूचित जनजाति की 50% जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों का होना और ईएमडीबीएस की स्वीकृति के लिए 90% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानदंड भूमि की पहचान को और अधिक बोझिल बनाते हैं। इसलिए समिति महसूस करती है कि क्षेत्र/जनसंख्या संबंधी दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ये शर्तें साथ मिलकर ईएमआरएस/ईएमडीबीएस की स्थापना के लिए भूमि के अधिग्रहण को काफी जटिल बना देती हैं । इसलिए समिति का मत है कि इनकी तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए और व्यवहार्य समाधान निकाले जाने चाहिए ताकि भूमि अधिग्रहण में विलंब को रोका जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि यह समीक्षा ईएमआरएस/ईएमडीबीएस की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं से समझौता किए बिना की जानी चाहिए। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि व्यापक रूप से बिखरे हुए जनजातीय आबादी वाले ऐसे जनजातीय क्षेत्रों को ईएमआरएस/ईएमडीबीएस से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो उनके शैक्षिक सशक्तिकरण का साधन हैं। समिति ने नोट किया कि तीन ईएमडीबीएस स्कूलों की स्वीकृति दी गई थी जिनमें से दो स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और एक स्कूल का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। समिति चाहती है कि तीनों ईएमडीबीएस का निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाए और मंत्रालय ईएमडीबीएस के निर्माण के लिए शीघ्रता से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित/संवेदनशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये ताकि अधिकतम जनजातीय छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।

अध्याय - चार

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस)

4.1 राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 2019 में नवोदय विद्यालय समिति के समान पैटर्न में विद्यालयों का प्रबंधन करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। एनईएसटीएस को विद्यालयों की योजना बनाने, निर्माण करने, स्थापित करने, वित्त देने और प्रशासित करने और जनजातीय शिक्षा के लिए आवश्यक या अनुकूल सभी कार्यों और चीजों को करने के लिए अधिदेशित किया गया है। एनईएसटीएस जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति के माध्यम से कार्य करेगा। प्रशासनिक पिरामिड का कार्यकारी प्रमुख आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) होगा जो कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित नीतियों को निष्पादित करेगा। एनईएसटीएस का मार्गदर्शन जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति द्वारा किया जाएगा। एनईएसटीएस में एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की गई है जिसमें निगरानी और मूल्यांकन, मानव संसाधन, वित्त, प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से अनुबंध से आधार पर परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। एनईएसटीएस के लिए एक समर्पित कार्यालय स्थान की पहचान की गई, इसे नवीनीकृत और पूरा किया गया है । एनईएसटीएस दिसंबर, 2020 से नए स्थान से काम कर रहा है। एनईएसटीएस के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 28 पदों में से 6 पदों को भरा जा चुका है।

4.2 राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की परिकल्पित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करती हैं:

(i) योजना को इसके सभी रूपों में प्रचालित करना ।

(ii) जनजातीय शिक्षा हेतु योजना बनाने, निर्माण करने, स्थापित करने, वित्त देने और प्रशासित करने के लिए आवश्यक या अनुकूल सभी कार्यों और चीजों को करना ।

(iii) जनजातीय बच्चों को मूल्यों के विकास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा के एक मजबूत घटक सहित अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक

शिक्षा प्रदान करना।

(iv) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भाषा मानदंडों के अनुसार पूरे देश में एक समान माध्यम द्वारा शिक्षा के लिए उपयुक्त स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना।

(v) मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एनसीईआरटी का एक समान कोर-पाठ्यक्रम प्रदान करना।

(vi) विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संबद्धता प्रदान करना।

(vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसाइटियों के समन्वय से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा प्रदान करना।

(viii) पीएफएमएस के माध्यम से विद्यालयों को आगे के पारेषण के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसायटी द्वारा अनुमानित वास्तविक आवश्यकता के आधार पर स्वीकार्य आवर्ती लागतों को अंतरित करना।

(ix) शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की भर्ती और मौजूदा कर्मचारियों की निरंतरता के लिए विस्तृत मानक और मानदंड प्रदान करना।

(x) मौजूदा विद्यालयों के संचालन के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसायटी या राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित मौजूदा समझौता ज्ञापनों की समीक्षा करना और यदि अकादमिक परिणाम और कोई अन्य निर्धारित बेंचमार्क अच्छे आएं तो नए सिरे से समझौता ज्ञापन करने के लिए उचित निर्णय लेना।

(xi) यदि आवश्यक हो, तो राज्यों के लिए अध्यापकों की भर्ती का कार्य एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जा सकता है जो उसमें निर्धारित आरक्षण कोटे को विधिवत रूप से सुनिश्चित करे।

(xii) भारत के किसी भी भाग में सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्य संस्थानों की सहायता, स्थापना और संचालन करना।

4.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या भारतीय न्यास अधिनियम अथवा किसी अन्य तदनुरूपी राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ईएमआरएस सोसाइटियों को दिशा-निर्देश जारी होने के 30 दिनों के भीतर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए । ये राज्य सोसाइटियां जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार विद्यालयों का रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करेंगी और एमओटीए/एनईएसटीएस द्वारा प्रत्यायोजित अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी। ईएमआरएस की संशोधित योजना के लिए राज्यों को शामिल करने के लिए, एनईएसटीएस द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसायटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था।

4.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईएमआरएस सोसाइटियों की अद्यतन स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे कि ईएमआरएस वाले प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस स्थापित करने के लिए पात्र हैं, साथ ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय ईएमआरएस सोसायटी की स्थापना भी करते हैं, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत रूप से पंजीकृत है। तदनुसार, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 27 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय ईएमआरएस सोसायटी की स्थापना की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि सोसायटी जल्द से जल्द शेष राज्य में स्थापित हो। समझौता ज्ञापन मूल रूप से ईएमआरएस के संशोधित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में एनईएसटीएस और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसाइटियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।

4.5 यह पूछे जाने पर कि एनईएसटीएस और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की ईएमआरएस सोसायटियां अपनी परिकल्पित भूमिका को सही ठहराने में कितनी दूर तक सक्षम रही हैं, जबकि कई विद्यालय अभी तक अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"एनईएसटीएस जनजातीय विद्यालयों की योजना बनाने, निर्माण करने, स्थापित करने, वित्त देने और प्रशासित करने के लिए अधिदेशित है जबकि राज्य सोसाइटियों को एमओटीए और नेस्टस द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अधिदेशित किया गया है। वर्तमान में 367 विद्यालय कार्य कर रहे हैं और शेष विद्यालय अगले कुछ वर्षों में काम करेंगे। संचयी रूप से लगभग 3.5 लाख विद्यार्थियों के साथ 740 विद्यालय होंगे। इसके लिए विद्यालयों के प्रबंधन के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। एनईएसटीएस ने अपनी स्थापना के बाद से ही विद्यालयों के निर्माण को सुव्यवस्थित करने, अध्यापकों के क्षमता निर्माण, विद्यालयों की सीबीएसई संबद्धता, अध्यापकों की भर्ती को सुविधाजनक बनाने आदि के लिए कई कदम उठाए हैं। एनईएसटीएस की स्थापना के बाद 147 विद्यालयों (367 कार्यात्मक ईएमआरएस में से) को कार्यात्मक बनाया गया है।"

4.6 राज्यों में ईएमआरएस सोसायटी की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बैठक के दौरान समिति के समक्ष बताया कि:

"एनईएसटीएस भी एक सोसाएटी ही है। जैसे हम नेशनल एजुकेशन को सासाइटी कहते हैं, वैसे ही स्टेट को हम लोगों ने एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करने के लिए कहा है। वह एक यूनिट की तरह होगी। वह एनजीओ नहीं हुआ, वह एक तरह से स्टेट गर्वनमेंट का ही यूनिट है।"

4.7 यह पूछे जाने पर कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और राज्य ईएमआरएस सोसाइटियों के साथ कितनी बार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और इस संबंध में जारी किए गए निदेशों/अनुदेशों के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"विभिन्न मुद्दों पर आवधिक रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और राज्य ईएमआरएस सोसाइटियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। अंतिम बैठक 06.10.2021 को ईएमआरएस के निर्माण के मुद्दे पर आयोजित की गई थी। बैठक की कार्यसूची के आधार पर निर्णयलिए जाते हैं और तदनुसार संबंधित को मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अनुदेश

जारी किए जाते हैं।"

4.8 ईएमआरएस से संबंधित विभिन्न पहलुओं की प्रगति की निगरानी के लिए स्थापित पीएमयू संरचना और उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों सहित इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के संबंध में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने सक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

> "निगरानी और मूल्यांकन, मानव संसाधन, वित्त, समन्वय, अकादमिक शिक्षाविदों और डेटा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में समर्पित मानव संसाधनों के साथ एक पीएमयू स्थापित किया गया है। इसके अलावा, ईएमआरएस की निर्माण पूर्व और निर्माणोत्तर गतिविधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए एक मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी (सेवानिवृत्त) और कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता पद के 8 सेवानिवृत्त सलाहकारों की एक सिविल शाखा बनाई गई है।
>
> मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण लॉकडाउन को देखते हुए, विद्यालय बंद रहे, और कई अभी भी बंद हैं। इसके मद्देनजर वास्तविक निरीक्षण संभव नहीं हो पाए हैं, तथापि, विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए राज्यों और विद्यालयों से नियमित रिपोर्टें और सूचना मांगी गई थी। "

4.9 एनईएसटीएस के सभी स्वीकृत पदों को भरने में विलम्ब संबंधी स्पष्टीकरण देने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति के साथ विचार-विमर्श के दौरान बताया कि:

> "वर्ष 2019 में एनईएसटीएस की स्थापना हुई। कुल 28 पद हैं। इसमें कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के जो पद डेप्युटेशन के माध्यम से भरे जाने थे, वे पूरे किए जा चुके हैं। चूंकि यह नई संस्था है, इसलिए बहुत से लोग डेप्युटेशन पर आने के लिए भी तैयार नहीं थे। उसके बाद हमने एजेंसी को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने भर्ती के लिए आवेदन-पत्र निकाल भी दिए हैं। सारे आवेदन भी आ गए हैं।"

4.10 समिति पाती कि ईएमआरएस की आयोजना, निर्माण, स्थापना, वित्तदान और प्रशासन के लिए 2019 में स्थापित नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटी) का कार्य

आदिवासी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा, एनसीईआरटी के सामान्य कोर-पाठ्यक्रम, स्कूलों की सीबीएसई संबद्धता, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करना तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसाइटियों अथवा राज्य सरकारों आदि द्वारा हस्ताक्षरित मौजूदा समझौता ज्ञापनो की समीक्षा करना है। समिति आगे नोट करती है कि दिशा-निर्देश जारी होने के 30 दिनों के भीतर स्कूलों के रख-रखाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर ईएमआरएस सोसाइटियों की स्थापना किया जाना अपेक्षित था, अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 27 में इनकी स्थापना की गई है। तथापि, समिति इस बात से क्षुब्ध है कि एनईएसटीएस में आज की तारीख तक केवल 6 पदों को भरा गया है, इस प्रकार वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 28 पदों में से 26 पद रिक्त रह गए हैं। समिति यह समझने में असमर्थ है कि एनईएसटीएस इस तरह की स्थापना के साथ अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को कैसे उचित तरीके से पूरा कर पाएगा। चूंकि केवल दो शीर्ष पद भरे गये हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि संभवत: अब तक एनईएसटीएस का कार्यकरण आरम्भ नहीं हुआ होगा। इसलिए, समिति का मत है कि एनईएसटीएस की स्वीकृत कार्मिक संख्या की भर्ती में और विलम्ब नहीं होना चाहिए। एनईएसटीएस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईएमआरएस सोसाइटियों की तत्काल स्थापना की जाए और स्कूलों के सुचारू कार्यकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसाइटियों या राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन की समीक्षा/हस्ताक्षर किए जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एनईएसटीएस की भूमिका और जिम्मेदारी, जिसके भविष्य में कई गुना बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उन्हें 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के साथ इच्छित 740 स्कूलों को चलाना और समन्वय करना है, समिति आगे दृढ़ता से महसूस करती है कि सम्भवतः एनईएसटीएस की वर्तमान स्वीकृत संख्या की समीक्षा और इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है या इसकी तकनीकी क्षमताएं बेहतर स्तर की हैं ताकि वे स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो सके। भविष्य में स्कूलों की निर्माण-पूर्व और निर्माणोत्तर गतिविधियों में वृद्धि के साथ परियोजना निगरानी इकाइयों की जिम्मेदारी में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समिति यह भी चाहेगी कि परियोजना निगरानी इकाइयों में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ रखे जाएँ ताकि वे ईएमआरएस की निर्माण-पूर्व और निर्माणोत्तर गतिविधियों का प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण और निगरानी कर सकें।

अध्याय -पांच

मानव संसाधन भर्ती

(शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ)

5.1 ईएमआरएस के गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित और प्रेरित गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों की भर्ती करने के उद्देश्य से ईएमआरएस में शिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय स्तर पर एक विशेष अभियान शुरू किया जाता है। ईएमआरएस के लिए शिक्षण स्टाफ (प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी) की भर्ती राज्य विशिष्ट होगी, यानी राज्य के अनुसार, जहां विद्यालय स्थित हैं, संबंधित राज्य के भर्ती नियमों के अनुसार और केवल राज्य के अधिवास प्रमाण पत्र वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ईटीएसएसई-2021 यानी ईएमआरएस टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन आयोजित करके ईएमआरएस के लिए टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। यह भर्ती विज्ञापन 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 3400 रिक्तियों के लिए जारी किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय स्तर के ईएमआरएस-टीचिंग स्टाफ चयन परीक्षा आयोजित करने के लिए है। राज्य-विशिष्ट आरक्षण रोस्टर का अनुसरण करते हुए संबंधित राज्यों द्वारा रिक्त पदों का परिकलन किया गया है। शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति राज्य-विशिष्ट आरक्षण रोस्टर का अनुसरण करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरी की जाएगी। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण ईटीएसएसई-2021 के लिए परीक्षा स्थगित कर दी गई है और मंत्रालय भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श कर रहा है।

5.2 यह पूछे जाने पर कि क्या विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में उपलब्ध अध्यापक स्वीकृत संख्या के अनुसार हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने सक्ष्योप्रांत उत्तर में बताया कि:

> “दिशा-निर्देशों के अनुसार, अध्यापकों की भर्ती और अन्य संबंधित पहलुओं को राज्य ईएमआरएस सोसायटी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तथापि, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, एनईएसएस ने प्रत्येक विद्यालय के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ सहित 52 पदों की पहचान की है और अपने स्तर पर इसे अधिसूचित करने के लिए राज्य ईएमआरएस

सोसाइटियों के साथ मॉडल भर्ती नियमों को साझा किया है। राज्य ईएमआरएस सोसाइटियों और संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध के आधार पर, नेस्टस ने अध्यापकों के चयन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करने की पहल की है जबकि राज्य अध्यापकों के अंतिम चयन और तैनाती के लिए जिम्मेदार होंगे। विद्यालयों में मौजूदा कर्मचारियों के बारे में डेटा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है।"

5.3 अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए निर्धारित मानदंडों और यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध प्रणाली के संबंध में सक्षम अध्यापक विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर पर विज्ञान विषयों के लिए उपलब्ध हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ईएमआरएस विद्यालयों के तहत शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए मानदंड केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर तैयार किए गए हैं। ईएमआरएस के लिए एनईएसटीएस द्वारा तैयार किए गए मानदंड निम्नानुसार हैं:

पद	आयु	शैक्षिक योग्यता
स्नातकोत्तर अध्यापक	40 वर्ष	एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। या • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। • स्नातकोत्तर अध्यापक (भौतिकी)- भौतिकी/अनुप्रयुक्त भौतिकी/नाभिकीय भौतिकी। • स्नातकोत्तर अध्यापक (रसायन शास्त्र) रसायन शास्त्र/जैव रसायन शास्त्र • स्नातकोत्तर अध्यापक (जैव विज्ञान) - वनस्पति विज्ञान/प्राणिविज्ञान/जीवन विज्ञान/जैव

		विज्ञान/आनुवंशिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/आणविक जैव विज्ञान/पादप शरीर विज्ञान बशर्ते उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो। • स्नातकोत्तर अध्यापक (गणित) गणित/अनुप्रयुक्त गणित। • स्नातकोत्तर अध्यापक सूचना प्रौद्योगिकी - बीटेक (कंप्यूटर विज्ञान/आईटी)/कंप्यूटर एप्लीकेशन/कंप्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/एमटेक में स्नातकोत्तर डिग्री (कंप्यूटर एप्लीकेशन/कंप्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी)। • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री (पीजीटी आईटी पर लागू नहीं)। • हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में प्रवीणता।
स्नातक अध्यापक	35 वर्ष	एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ चार वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। या संबंधित विषय/विषय के संयोजन और योग में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। स्नातक अध्यापक (विज्ञान) के लिए - निम्नलिखित विषयों में से किसी भी दो के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री: वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और रसायन विज्ञान।

5.4 यह पूछे जाने पर कि क्या कार्यात्मक विद्यालयों के लिए भरे जाने के लिए प्रस्तावित 3400

पदों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं, और कार्यात्मक विद्यालयों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं और एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित संख्या के अनुरूप हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"16 राज्यों के लिए 3400 शिक्षण पदों (रिक्तियों) के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में संविदात्मक/तदर्थ अध्यापकों द्वारा धारित पदों को विज्ञापित नहीं किया गया था। अत, राज्यों द्वारा साझा की गई रिक्तियां इन राज्यों में कार्यात्मक विद्यालयों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं और एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित संख्या के अनुरूप हैं। अधिकांश राज्यों द्वारा आरआर संबंधी अधिसूचना जारी न किए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया स्थगित है।"

5.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आगे साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि:

"हमने जो फिगर लिया है, वह थोड़ा कंजरवेटिव भी लिया है। चूंकि हम भी पहली बार यह वेंचर कर रहे थे। नेशनल लेवल पर इसको कराना है, इसलिए, कंजरवेटिव चलें। क्योंकि अप्वाइंटमेंट स्टेट्स को ही देनी है, इसलिए हमने स्टेट्स से ही फिगर मंगवाए थे। ऐसा न हो कि हम ज्यादा करें और अप्वाइंटमेंट में दिक्कत आ जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कई जगह लोग डेपुटेशन पर भी काम कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में कर रहे हैं। वहां पढ़ाई का जो स्तर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि, वे सारे के सारे डेपुटेशन पर हैं। जो डेपुटेशन पर हैं, वे रेगुलर एम्प्लाइज हैं।"

5.6 2018 में योजना के नवीनीकरण के बावजूद भर्ती प्रक्रिया और शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में एकरूपता लाने में विलम्ब के संबंध में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"एनईएसटीएस की स्थापना 2019 में की गई थी और 2020 में आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती के साथ यह कार्यात्मक हो गया। इसके तुरंत बाद, मॉडल भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार किया गया और राज्यों के साथ इसे साझा किया गया। राज्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, इसे संशोधित किया गया और अंतिम संस्करण को राज्यों के साथ साझा किया

गया जिसमें न्यूनतम अर्हता, भर्ती विधि, वेतनमान आदि शामिल थे। तत्पश्चात् राज्यों से इन भर्ती नियमों को अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया है ताकि इसे किसी भी नई भर्ती के लिए लागू किया जा सके। "

5.7 समिति के साथ विचार-विमर्श के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन में असमानता के मुद्दे को समिति के संज्ञान में लाया:

”अब तक हम ग्रांट देते थे और टीचर्स के वेतन आदि के बारे में, वे कितना वेतन टीचर्स को दे रहे हैं, कितनों की नियुक्ति कर रहे हैं, हम उनको बताते थे, लेकिन वे राज्य द्वारा ही संचालित थे। जब हमने देखा कि टीचर्स की क्वालिटी सफर कर रही है, क्योंकि वे कांट्रैक्चुअल हैं। जो कान्ट्रेक्ट का टीचर है, उसे अच्छा काम करने का कोई इन्सेन्टिव नहीं रहेगा और वह हमेशा दूसरी जगह नौकरी तलाशता रहेगा।”

5.8 उन्होंने आगे बताया:

“हमने यहाँ से आरआर बनाया और राज्य को कहा कि आपके 52 पद होने चाहिए, 26 टीचिंग के और 26 नॉन टीचिंग के, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी आदि के सारे नॉर्म्स हमने फिक्स किए और उसके बाद राज्यों को कहा कि आप स्वयं इनको भर्ती कीजिए और सीबीएसई से एफिलिएट होइए ताकि जो सीबीएसई के नॉर्म्स हैं, उनके अनुसार टीचर्स को वेतन भी मिल सके। उसमें कार्य धीमा चल रहा था तो एनईएसटीएस ने खुद ही पहल करके मतलब हमने आगे बढ़कर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ बात की और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स की नियुक्ति के लिए कार्यक्रम बनाया। उसका विज्ञापन भी दिया, जैसे गुजरात से मँगाया तो यहाँ पर 161 टोटल पद उन्होंने बताए कि ये पद खाली हैं। 16 राज्यों में, कुछ राज्यों में चुनाव के चलते नहीं हो पाया, हमने उनको भर्ती प्रक्रिया से अलग कर दिया।”

5.9 समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि 1997-98 से इस योजना के अस्तित्व के बावजूद राज्यों द्वारा ईएमआरएस के विद्यालयों हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक समान मानदंड नहीं हैं क्योंकि मंत्रालय का राज्यों को ईएमआरएस स्थापित करने के लिए अनुदान देने के अतिरिक्त इन

विद्यालयों पर नियंत्रण नहीं था। समिति को अब सूचित किया गया है कि केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर तैयार किए गए मानदण्डों के अनुसार 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 3400 रिक्तियों के लिए एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर ईएमआरएस- शिक्षण स्टाफ चयन परीक्षा आयोजित करेगी। तथापि, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भर्ती नियमों की अधिसूचना जारी न किए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया स्थगित है। समिति का मानना है कि यदि यह निर्णय मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस के अस्तित्व में आने के समय लिया गया होता तो विद्यालय पूरे देश में शिक्षा का एक समान स्तर हासिल कर सकते थे। समिति पाती है कि यह मामला अभी भी अवरुद्ध है क्योंकि वे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शिक्षकों की रिक्तियों का विज्ञापन करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि एनईएसटीएस द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित राज्यों/ईएमआरएस सोसाइटियों द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है। जब तक सभी राज्य इससे सहमत नहीं होते हैं, तब तक शिक्षकों की भर्ती प्रभावित होती रहेगी। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जानी चाहिए और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रतीक्षा किए बिना विज्ञापित रिक्तियों के लिए परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए जिन्होंने भर्ती नियमों को अधिसूचित नहीं किया है और राज्य विशिष्ट आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्ती किए गए शिक्षकों की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि उन्हें तैनाती से पहले प्रशिक्षित किया जा सके। एनईएसटीएस उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी अनुवर्ती कार्रवाई कर सकता है जिन्होंने उनके द्वारा बनाए गए मॉडल भर्ती नियमों को अधिसूचित नहीं किया है और यह सुनिश्चित करे कि ये राज्य उक्त नियमों को एक विशिष्ट समयावधि में अधिसूचित करें ताकि इन राज्यों के लिए शिक्षकों की भर्ती भी समयबद्ध तरीके से की जा सके। एनईएसटीएस द्वारा बनाए गए मॉडल भर्ती नियमों की अधिसूचना जारी करने में अभी भी देरी कर रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले को उचित स्तर पर आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन्हें शीघ्र अधिसूचित किया जा सके और विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न हो। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय ईएमआरएस के कुशल प्रबंधन के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करे। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि की-गई-कार्रवाई में हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

अध्याय -छह

निर्माण लागत और बजट

6.1 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के परिसरों हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों सहित निर्धारित पूंजीगत लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए 37.80 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 48.00 करोड़ रुपये तक है। एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालयों के परिसरों हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों सहित निर्धारित पूंजीगत लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए 14.00 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 20.00 करोड़ रुपये तक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए प्रति वर्ष 1,09,000/- रुपये प्रति बच्चा की दर से आवर्ती लागत 1.4.2019 से स्वीकार्य है, जबकि एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालयों की आवर्ती लागत 85,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा की दर से नामांकित विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य है। रसोई, भोजन, छात्रावास, मनोरंजन, उद्यान आदि सहित फर्नीचर/उपस्कर जैसी आवश्यक गैर-आवर्ती वस्तुओं की खरीद के लिए, प्रति विद्यालय 20 लाख रुपये तक के रखरखाव अनुदान की अनुमति प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार दी जा सकती है। यूनिट लागत के साथ आवश्यकता के आधार पर पहले से ही स्वीकृत ईएमआरएस का उन्नयन अधिकतम 5 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय (चार वर्षों में यानी 2018-19 से 2021-22 तक स्थिर किया जाना है)। हालांकि, पहले से बनाए गए विद्यालयों को प्राथमिकता दी जानी है।

6.2 मानदण्डों के अनुसार, नए विद्यालयों के निर्माण और मौजूदा विद्यालयों के उन्नयन के संबंध में जारी की जाने वाली निधियों को निर्माण एजेंसियों के चयन और एनईएसटीएस द्वारा एजेंसियों को अलग-अलग विद्यालयों के कार्य के आबंटन से जोड़ा जाना है। कार्य के आबंटन पर, केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में एनईएसटीएस और निर्माण एजेंसियों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए जाने होते हैं। करार पर हस्ताक्षर करने पर, यदि लागू हो, तो नए निर्माण के लिए लागू निर्माण एजेंसियों को आगे जारी करने के लिए नेस्टस को मोबिलाइजेशन एडवांस जारी किया जाएगा। निर्माण एजेंसियों को किस्त में निधियां जारी की जाएंगी और किस्त की मात्रा जीएफआर के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी। निर्माण एजेंसियों को बाद में जारी की गई निधियों को वास्तविक निष्पादन और एजेंसियों द्वारा निधि उपयोग/निधि अंतरण के प्रमाण पत्र से जोड़ा जाएगा। अधिकतम अनुमेय लागत 480 विद्यार्थियों वाले विद्यालय पर आधारित है और जो 12 वीं कक्षा तक चल रहे हैं। कम क्षमता वाले विद्यालय और 12वीं कक्षा तक (तीन

विधाओं में) नहीं चल रहे विद्यालयों में वास्तविक नामांकन के आधार पर आवर्ती लागत के लिए पात्र होंगे।

6.3 दिसंबर 2018 में सीसीईए द्वारा ईएमआरएस योजना के पुनरुद्धार के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, कैंपस लेआउट, बिल्ट-अप एरिया, मुखौटा डिजाइन, सामग्री विनिर्देशों आदि सहित ईएमआरएस और ईएमडीबीएस के निर्माण के लिए मानदंडों को मानकीकृत किया गया था। निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केंद्र और राज्य) जैसी एजेंसियों को सौंपने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 452 नए ईएमआरएस का निर्माण कार्य एक मानकीकृत भवन डिजाइन के आधार पर निम्नलिखित एजेंसियों को सौंपा गया है।.

कार्यान्वयन एजेंसी	**सौंपे गए विद्यालयों की संख्या**
पीएसयू (एचएससीएल, एनपीसीसी, डब्ल्यूएपीसीओएस,टीसीआईएल, एमएएन आईडीसीओ, एमटीडीसी, बीएंडआर और ईपीआईएल)	370
सीपीडब्ल्यूडी	40
राज्य सरकार	42
कुल	**452**

6.4 वर्ष 2018-19 से नए विद्यालयों के निर्माण के लिए स्वीकृत निधियों का वर्षवार ब्यौरा और नए विद्यालयों की संख्या, अपने स्वयं के भवनों से क्रियाशील विद्यालयों तथा वैकल्पिक भवनों से कार्यरत विद्यालयों आदि का विवरण समिति को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया:

वर्ष	**नए विद्यालयों के लिए स्वीकृत**	**अपने भवन से प्रारंभ किये गए विद्यालय**	**वैकल्पिक भवन से प्रारंभ किये**

	निधि (लाख में)		गए विद्यालय
2018-19	2312.00	3	18
2019-20	7212.00	5	35
2020-21	38181.40	12	50
2021-22	17128.83	0	0

6.5 ग्यारहवें वित्त आयोग ने इस योजना को निम्नलिखित बजट के साथ जारी रखने को मंजूरी दी:

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	**2020-21**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**कुल**
पूंजीगत लागत	3836.12	7356.45	6972.15	2146.50	210.00	20520.95
आवर्ती लागत	1094.26	1370.69	1648.32	1928.35	2212.15	8253.77
स्पोर्ट्स मीट / सांस्कृतिक बैठक, प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.00	25.00	30.00	30.00	35.00	145.00
कुल योग	**4955.38**	**8752.14**	**8650.47**	**4104.85**	**2457.15**	**28919.72**

6.6 2023-24 से पूंजीगत लागत आवंटन में कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विशेषकर

जब बड़ी संख्या में विद्यालय निर्माणाधीन हैं या निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

> "बजटीय प्रावधान विद्यालयों के निर्माण की प्रगति के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिनके2022-23 और 2023-24 के दौरान चरम पर होने की उम्मीद है और उसके बाद निर्माणाधीन विद्यालयों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आएगी।"

6.7 यह पूछे जाने पर कि क्या आवर्ती लागतों के बजट में विद्यालयों के अपने भवन में वापस जाने के बाद विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखा गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

> "आवर्ती लागत का बजट विद्यार्थियों की संख्या में क्रमिक वार्षिक वृद्धि को वर्ष 2021-22 में 100000 विद्यार्थियों से वर्ष 2025-26 में लगभग 200000 विद्यार्थियों की संख्या के लिए 1.09 लाख रूपये प्रति छात्र यूनिट लागत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।"

6.8 जहां तक प्रति छात्र अनुमानित वार्षिक व्यय में मुद्रास्फीति प्रभाव को समाने के लिए उपलब्ध आंतरिक तंत्र का संबंध है ताकि विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाएं निधियों के अभाव में प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> **"**मुद्रास्फीति और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवर्ती लागत को 2017-18 में प्रति छात्र 42000 रुपये से बढ़ाकर 2019-20 में 1,09,000 रुपये कर दिया गया था। नवोदय विद्यालयों के मौजूदा मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए प्रति छात्र मानदण्ड को संशोधित किया गया था। यदि आवश्यक हो, तो वित्त मंत्रालय और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अध्यधीन भविष्य में आवर्ती लागत में वृद्धि की जा सकती है। "

6.9 समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के संदर्भ में विद्यालयों के निर्माण के लिए पहचान की गई सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"174 प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति (एए एंड ईएस) जारी किए गए जिसमें से, 104 सार्वजनिक उपक्रमों के पक्ष में जारी किए गए हैं, जहां 43 स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।"

6.10 यह पूछे जाने पर कि क्या निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित 18 महीनों की अवधि पर्याप्त है और कितने विद्यालयों के निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा सकता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"प्रवेश स्तर की कक्षाओं के साथ विद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये (पहाड़ी/पूर्वोत्तर/वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 24 करोड़ रुपये) की स्वीकृत लागत से आंशिक निर्माण पूरा करने के लिए 18 माह की अवधि निर्धारित की गई है। 100 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। पिछली दो लहरों के दौरान फैले हुए कोविड 19 के कारण इन स्थानों पर काम बाधित हुआ था। हालांकि एजेंसियों से कहा गया है कि वे निर्धारित अवधि में काम को तेजी से पूरा करें।"

6.11 जहां तक दण्डात्मक उपबंधों का संबंध है, जहां विद्यालयों का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि::

"यदि निर्माण एजेंसी पैरा 4 के अनुसार आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में या काम को पूरा करने और पूरा होने की विस्तारित तिथि पर या उससे पहले साइट को खाली करने में विफल रहती है, तो यह कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस तरह के उल्लंघन के कारण एनईएसटीएस, प्रति सप्ताह की देरी का मुआवजा 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) देगी जो सेवा शुल्क का 10%अधिकतम के अधीन होगा। मुआवजे की राशि और अनुचित देरी की अवधि के संबंध में एनईएसटी का निर्णय निर्माण एजेंसी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। यदि सीए किसी अनुचित देरी के कारण अपने ठेकेदार से देरी या परिसमापन नुकसान के लिए कोई मुआवजा वसूल करता है, तो उसे एनईएसटीएस में जमा किया जाएगा।"

6.12 समिति पाती है कि ईएमआरएस योजना के पुनरुद्धार के बाद, 2018-19 से स्वीकृत 452 नए विद्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सीपीडब्ल्यूडी को सौंपी गई है सिवाय 42 विद्यालयों के जिनकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। समिति यह भी पाती है कि 2024-25 के लिए 2146.50 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत का बजटीय प्रावधान और 2025-26 के लिए 210.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। समिति इन दो वर्षों के लिए इतने कम बजटीय प्रावधान रखने के कारणों को समझने में असमर्थ है, जबकि आज की तारीख तक केवल 174 विद्यालयों के लिए व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है और 278 विद्यालयों के लिए व्यय स्वीकृति प्रदान की जानी शेष है। चूंकि दूरदराज/पहाड़ियों/दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों के निर्माण में नियमित क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए इस बात की अधिक संभावना है कि अगले तीन वर्षों में 278 विद्यालय तैयार नहीं होंगे और 2025-26 में 210 करोड़ रुपये अपर्याप्त होंगे। समिति इस बात की आशंका से अवगत है कि उस समय ईएमआरएस को कितनी वित्तीय तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए समिति चाहेगी कि मंत्रालय विद्यालयों के निर्माण के लिए किए गए वित्तीय आबंटन की समीक्षा करे ताकि कोई वित्तीय संकट न हो क्योंकि उपयोग न होने की स्थिति में आबंटन व्यपगत होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, समिति यह जानकर निराश है कि निर्माण कार्य अपेक्षित गति से प्रगति नहीं कर रहा है क्योंकि निर्माण कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्माण के लिए 104 ईएमआरएस के लिए जारी की गई प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति में से केवल 43 स्थानों पर ही शुरू हो सका है। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय नियमित रूप से प्रारंभ किए गए कार्य की स्थिति की समीक्षा करे और सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करे ताकि कार्य को एक लक्षित अवधि में पूरा किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय राज्यों को सौंपे गए कार्यों की निगरानी करे और उनकी ओर से विलंब से बचने के लिए अनुपालन की मांग करे।

अध्याय- सात

प्राचार्यों और अध्यापकों का क्षमता निर्माण

7.1 मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के सहयोग से ईएमआरएस विद्यालय प्रमुखों और प्रधानाचार्यों के लिए विद्यालय नेतृत्व में एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। नेतृत्व कार्यक्रम 21 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2020 तक 10 दिनों की अवधि के लिए एक ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में 12 राज्यों के 50 ईएमआरएस विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। आर्ट ऑफ लिविंग ट्रस्ट के सहयोग से, ईएमआरएस विद्यालय अध्यापकों के लिए 28 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2020 तक 5 दिनों की अवधि के लिए ऑनलाइन एक अध्यापक विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो राज्यों नामत; कर्नाटक और तेलंगाना के 50 नियमित ईएमआरएस विद्यालय अध्यापकों ने भाग लिया। मंत्रालय ने एक स्वायत्त स्वैच्छिक संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स (आईएपीटी) के सहयोग से ईएमआरएस विद्यालयों के माध्यमिक स्तर के भौतिकी अध्यापकों के लिए एक अध्यापक विकास कार्यशाला का आयोजन किया। आईएपीटी संगठन पूरे भारत में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से भौतिकी शिक्षण और भौतिकी अध्यापकों के उन्नयन के लिए कार्य करता है।

7.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि कार्यशाला 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2020 तक 5 दिनों की अवधि के लिए एक ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। प्रशिक्षण में 3 राज्यों के 60 से अधिक ईएमआरएस विद्यालय अध्यापकों ने भाग लिया। इसे एक नियमित प्रक्रिया बनाने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी की संभावना तलाश की जा रही है। 2 राज्यों के 50 (पीजीटी) ईएमआरएस अध्यापकों के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल-आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से आईटी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग के सहयोग से 60 ईएमआरएस विद्यालय प्रमुखों और प्रधानाचार्यों के लिए नवाचार और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

7.3 इसके अतिरिक्त, अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीबीएसई संबद्धता पोर्टल के सार्वजनिक पोर्टल में केवीएस, एनवीएस जैसी एक अनूठी इकाई के रूप में ईएमआरएस को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि नीति स्तरीय शिक्षा निर्णय लेने के लिए गठित राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक मंच में ईएमआरएस विद्यालय प्रमुखों/प्रधानाचार्यों यानी देश भर से सबसे अच्छा और उत्कृष्ट ईएमआरएस अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को संबद्ध किया जाए । इसके अतिरिक्त, विद्यालय प्रवेश दिशा-निर्देश, अध्यापक निष्पादन मूल्यांकन प्रारूप/ वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन प्रारूप (एपीएआर) आदि को भी मानकीकृत किया जाता है।

7.4 अध्यापकों के शिक्षण कौशल में सुधार के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> “ईएमआरएस अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के लिए पेशेवर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एनसीईआरटी, एनआईईपीए, नीति आयोग आदि जैसे राष्ट्रीय शीर्ष निकायों के साथ सहयोग स्थापित किए गए हैं”

7.5 एमओएसडी एंड ई और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के सहयोग से विकसित किए जा रहे कार्यक्रमों के संबंध में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> "एनईएसटीएस द्वारा एमओएसडी एंड ई के साथ सहयोग किया गया है जिसका उद्देश्य ईएमआरएस में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करना और कौशल पाठ्यक्रमों में अध्यापकों की पेशेवर योग्यता का निर्माण करना है। इसका प्रारंभिक उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी में ईएमआरएस अध्यापकों की पेशेवर योग्यता का निर्माण करना है। यह पहल अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देगी, विद्यार्थियों की शिक्षुता और भविष्य की नौकरी की संभावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए, सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए नेस्टस और एमओएसडी एंड ई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।
>
> राज्यों में ईएमआरएस के लिए मेंटरशिप योजना शुरू करने के उद्देश्य से एनवीएस के साथ सहयोग भी स्थापित किया गया है। एनवीएस और ईएमआरएस के बीच प्रभावी गठबंधन के लिए

मेंटरशिप कार्य योजना में एनवीएस द्वारा ईएमआरएस की मेंटरशिप शामिल होगी, ताकि अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वय, नेतृत्व, शासन, प्रबंधन आदि को सुविधाजनक बनाया जा सके। बृहद उद्देश्य विद्यालयों के बीच सकारात्मक तालमेल बनाना है, जिससे कुशल गठबंधन हो सकता है। जेएनवी और ईएमआरएस की सह-मैपिंग एनईएसटीएस द्वारा की गई है और भविष्य के पाठ्यक्रम को तय करने के लिए एनईएसटीएस द्वारा चर्चा प्रगति पर है।"

7.6 इन विद्यालयों में कौशल विकास के संबंध में विचार-विमर्श के दौरान पूछे जाने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"कौशल विकास के लिए मिनिस्ट्री की जो स्कीम है, उसके अंदर उनका भी एक प्रपोजल आया है। उसमें यह है कि जहां-जहां पर जिन-जिन स्कूल्स में वोकेशनल टीचर्स हैं, उनको कौशल विकास योजना के साथ जोड़ दिया जाए। इसके अलावा जिन स्कूल्स में वोकेशनल टीचर्स नहीं है, उनको रिस्पेक्टिव आईटीआईज़ के साथ जोड़ दिया जाए। इसके अलावा हमारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ एम.ओ.यू. हुआ है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए पूरे इंडिया में 50 हजार बच्चों का प्रपोजल किया है। इनिशिएली उन्होंने 50 स्कूल्स सैंक्शन किए हैं।"

7.7 समिति ने पाया है कि विगत दो वर्षों के दौरान ईएमआरएस के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तथापि, इन कार्यक्रमों में विद्यालयों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की भागीदारी सीमित पाई गई थी। समिति का मत है कि शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आवधिक रूप से आयोजन किया जाना चाहिए और उनके शिक्षण/नेतृत्व कौशल में उन्नयन के लिए भागीदारी को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए जो उन्हें शिक्षा प्रदान करने के तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुरूप कार्य करने में समर्थ बनाएगा। समिति चाहती है कि एनईएसटीएस राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानाचार्यों/शिक्षकों के विनिमय कार्यक्रम विकसित करे ताकि वे उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकें। समिति पेशेवर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के लिए राष्ट्रीय शीर्ष निकायों जैसे एनसीईआरटी, नीति आयोग, एनआईईपीए आदि के साथ सहयोग जैसी पहलों की सराहना करती है और चाहती है कि इसमें ईएमआरएस शिक्षकों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा, समिति यह भी महसूस करती है कि व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू

करने के लिए एनईएसटीएस और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मध्य सहयोग से छात्रों और शिक्षकों को कौशल विकसित करने में लाभ होगा, इसलिए, ईएमआरएस में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की शीघ्र शुरुआत हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। समिति का विचार है कि कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि प्रधानाचार्यों/शिक्षकों के लिए व्यावसायिक क्षमता विकास कार्यक्रमों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया जाए और इसे सभी ईएमआरएस और ईएमडीबीएस के साथ साझा किया जाए ताकि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय-आठ

विद्यालय अवसंरचना

8.1 ईएमआरएस शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुरूप होंगे। विद्यालय में सुविधाओं में अत्याधुनिक अवसंरचना; अध्ययन सामग्री; वर्दी (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जलवायु अनुकूलित कपड़ों सहित); प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी संबंधित कक्षाओं हेतु सुविधाएं; कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं; टेलीमेडिसिन सहित चिकित्सा सुविधाएं और आसपास के प्रमुख अस्पतालों के साथ गठजोड़; पर्याप्त शुद्ध पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान; स्काउट्स, गाइड, एनसीसी, विद्यालय बैंड और संबंधित गतिविधियां; नृत्य, संगीत, चित्रकला, ट्रेकिंग, भ्रमण/एक्सपोजर विज़िट, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने वाले अध्ययन दौरे और अकादमिक, खेल और सह-पाठ्यचर्या सहित विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के भाग लेने जैसी पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं।

प्रबुद्ध शैक्षिक अवसंरचना (स्मार्ट-कक्षाएं)

8.2 एमईआईटीवाई की स्वायत्त सोसायटी ईआरनेट इंडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ सह-समन्वय में विद्यार्थियों के अधिगम और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में प्रबुद्ध शैक्षिक अवसंरचना (स्मार्ट) की स्थापना" नामक एक परियोजना शुरू की गई है। मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि इस परियोजना के तहत, ईआरनेट 100 चुनिंदा ईएमआरएस विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सुविधाएं स्थापित करेगा और पूर्वोत्तर तथा दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यालयों को प्राथमिकता देगा जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है।

8.3 यह पूछे जाने पर कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने की वर्तमान स्थिति क्या है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में जानकारी दी कि:

"वर्ष 2021 के दौरान, ईएमआरएस में स्मार्ट कक्षाएं लागू करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 175 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी ईआरनेट इंडिया के माध्यम से एक परियोजना लागू की जा रही है। ईआरनेट द्वारा साझा की गई योजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 48 विद्यालयों को कवर और शेष को अगले वर्ष में कवर किया जाना है।

8.4 इस संबंध में, जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने 13 अगस्त, 2021 को आयोजित विचार-विमर्श के दौरान समिति को सूचित किया कि:

"दिसम्बर तक हमारा जो टारगेट है, उसमें 50 स्कूल्स हैं। उनमें कुछ फॉर्मेल्टीज़ स्टेट्स को करनी है, जैसे अगर कहीं लाइटनिंग हो रही है तो उसके लिए न्युट्रल की व्यवस्था हो, ऐसी सारी व्यवस्थाएं होने के साथ, हमारा टारगेट है कि हम लोग 50 स्कूल्स इस साल दिसम्बर में कम्पलीट कर लेंगे। बाकी 175 विद्यालयों में, 'एरनेट' और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हर विद्यालय में छः क्लॉसेज ऑनलाइन होंगी।"

ईएमआरएस विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) की स्थापना

8.5 ईएमआरएस विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के लिए नीति आयोग के साथ समन्वय स्थापित किया गया था। एटीएल लैब्स स्कूली बच्चों को एक कार्यक्षेत्र प्रदान करते हैं जहां युवा मष्तिष्क अपने विचारों को आकार देते हैं। ईएमआरएस विद्यालयों में एटीएल स्थापना के लिए बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई गई थी। पहले चरण में, सभी ईएमआरएस विद्यालयों को नीति आयोग की वेबसाइट से अपने पात्रता मानदंडों की जांच करने के बाद सीधे एटीएल के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। दूसरे चरण में, ईएमआरएस विद्यालयों में एटीएल स्थापना की स्थिति के संबंध में आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए एक 10-बिंदुओं वाला ऑनलाइन पैरामीट्रिक एसेसमेंट टूल प्रशासित किया गया था। तीसरे चरण में, एटीएल स्थापना के लिए जानकारी प्राप्त करने और

विद्यालयों में एटीएल स्थापना के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए नीति आयोग की टीम के साथ संवाद स्थापित किया गया था।

8.6 ईएमआरएस में पहला एटीएल 2018 के दौरान स्थापित किया गया था। वर्तमान में 6 राज्यों के 13 विद्यालयों में एटीएल स्थापित किए गए हैं। एटीएल की स्थापना के लिए 5 और विद्यालयों का भी चयन किया गया है। एनईएसटीएस की स्थापना के बाद, हाल ही में कम से कम 100 विद्यालयों में एटीएल की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के साथ सीधे समन्वय करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। एटीएल की स्थापना अपेक्षित स्थान, पर्याप्त एसटीईएम शिक्षकों, आधारभूत अवसंरचना और विज्ञान और नवाचार कार्यक्रमों में भागीदारी सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तदनुसार विद्यालयों को तैयार करने हेतु एनईएसटी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

8.7 विद्यालयों में एटीएल की स्थापना के लिए आवश्यकताओं के विषय में पूछे जाने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"एटीएल की स्थापना के लिए आवश्यक शर्तें नीचे दी गई हैं:

मानदंड	**आवश्यकता**
आधारभूत अवसंरचना	1. सम / मैदानी क्षेत्रों में सभी मौसमी क्षेत्र (1000 वर्ग फुट) 2. पहाड़ी/हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर, द्वीपीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी मौसमी क्षेत्र (750 वर्ग फुट) 3. इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर लैब 4. स्थिर बिजली कनेक्शन 5. विज्ञान प्रयोगशाला (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) 6. पुस्तकालय और खेल का मैदान 7. कम से कम कक्षा/ग्रेड VI से X 8. आवेदन की तारीख से कम से कम 5 साल पहले विद्यालय की स्थापना हुई हो

संकाय	9.	मौजूदा संकाय: पीजीटी डिग्री के साथ गणित, विज्ञान और कंप्यूटर शिक्षक।
	10.	संबंधित विद्यालयों द्वारा पॉलिटेक्निक/एसटीईएम स्नातकों को स्वतंत्र रूप से एसटीईएम शिक्षकों के रूप में अनुबंध आधार पर नियुक्त (हायर) किया जा सकता है
पहुंच	11.	नामांकन - सम / मैदानी क्षेत्रों में कक्षा / ग्रेड VI-X में न्यूनतम 300 छात्र।
	12.	नामांकन - पहाड़ी / हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर, द्वीप राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में कक्षा / ग्रेड VI-X में न्यूनतम 200 छात्र।
	13.	2016-17 से 2019-20 तक शैक्षणिक वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नामांकित विद्यार्थियों की 75% या उससे अधिक की नियमित उपस्थिति

8.8 आगे यह पूछे जाने पर कि 100 चयनित विद्यालयों/सभी ईएमआरएस विद्यालयों में एटीएल की स्थापना कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना/लक्ष्य है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"नीति आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाने पर एटीएल हेतु आवेदन करने के लिए पात्र ईएमआरएस को आवश्यक सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।"

मोबाइल टैबलेट्स की खरीद

8.9 मंत्रालय ने सूचित किया कि कई राज्यों द्वारा स्पष्ट रूप से सामने रखी गई एक महत्वपूर्ण समस्या कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों के पास स्मार्ट फोन/मोबाइल उपकरणों जैसे गैजेट्स की अनुपलब्धता थी। इस स्थिति से निपटने के लिए, मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस के विद्यार्थियों के लिए टैबलेट/मोबाइल उपकरण उपलब्ध कराने के तंत्र के बारे में निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इन पहलों के माध्यम से ईएमआरएस को सशक्त प्रौद्योगिकीय संसाधनों के साथ अति आवश्यक प्रौद्योगिकीय फेस-लिफ्ट मिलने की उम्मीद थी जो विशेष रूप से जनजातीय विद्यार्थियों जैसे कमजोर और वंचित समुदायों के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के अधिगम में होने वाली क्षति को कम

करेगा तथा अनुकूली शिक्षा प्रणालियों का निर्माण करेगा।

8.10 इन उपकरणों के लिए सी-डैक द्वारा विकसित की जाने वाली ऑनलाइन शिक्षा और मजबूत शिक्षण प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 10 वीं से 12 वीं के विद्यार्थियों हेतु जीईएम के माध्यम से खरीदे जाने वाले 30,000 उपकरणों की स्थिति के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"टैब की खरीद के लिए बोली जीईएम पोर्टल पर जारी की गई थी। तथापि, अनेक कारकों के कारण बोलीदाताओं की ओर से खराब प्रतिक्रिया को देखते हुए बोली को एक बार फिर से जारी करना पड़ा। बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडैक), मुंबई द्वारा प्रक्रियाधीन है। प्रारूप डिजाइन को मंत्रालय के साथ साझा किया गया था और फीडबैक के आधार पर इसे संशोधित किया जा रहा है। तथापि, एलएमएस की तैनाती टैब की खरीद के पूरा होने पर निर्भर करेगी।''

8.11 जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आगे यह जानकारी दी कि:

"मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए दो बार टेंडर हुआ। जब इनिशियली टेंडर हुआ और उसमें 'मेड इन इंडिया' का क्लॉज आया, तब इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी, जो हमारी स्पेशिफिकेशन्स - 10 इंच का टैब और 3 जीबी की रैम - पर खरी उतरती हो। इस वजह से हमें दो बार टेंडर करना पड़ा। तीसरी बार जो टेंडर किया गया है, उसकी प्रोसेस शुरु हो गई है और जैसे ही यह प्रोसेस पूरी होगी, हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस टैब के अंदर जाएगा, फिर चाहे किसी विद्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या नहीं हो, बच्चे उस टैब के माध्यम से पूरी जानकारी ले पाएंगे।''

शैक्षिक किट

8.12 यह पूछे जाने पर कि उन्नत कंप्यूटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के साथ साझेदारी की स्थिति के साथ-साथ ईएमआरएस में शैक्षिक किट खरीदने की प्रक्रिया के पूरी होने और इन्हें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाने की संभावना कब तक की, जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"एनसीईआरटी के माध्यम से शैक्षिक किटों की खरीद की जा रही है जिसमें निविदा प्रक्रिया जारी है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।"

8.13 दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों/शिक्षकों की आधारभूत संरचना की आवश्यकता का आकलन करने के लिए किए गए किसी अध्ययन के संबंध में पूछे जाने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि:

> "एनईएसटीएस द्वारा विद्यालयों की अवसंरचनात्मक आवश्यकता की पहचान करने के लिए एक विस्तृत विश्लेषण किया गया था। इसे नवोदय विद्यालय समिति, सीपीडब्ल्यूडी के परामर्श से और राष्ट्रीय भवन कोड (नेशनल बिल्डिंग कोड), सीबीएसई आदि के तहत आवश्यक विभिन्न अनुपालनों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तदनुसार, अवसंरचना के मानदंडों पर काम किया गया था और कार्यान्वयन के लिए एक मानक वर्दी डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है। सभी नए विद्यालयों का निर्माण नए डिजाइन के आधार पर किया जा रहा है। आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुराने विद्यालयों को भी धीरे-धीरे अपग्रेड किया जा रहा है।''

प्रबंध प्रौद्योगिकी प्रणाली

8.14 मंत्रालय ने सूचित किया कि देश भर में ईएमआरएस की प्रभावी निगरानी के लिए स्वयं के ईएमआरएस-एमआईएस को विकसित करने की आवश्यकता पैदा हुई। तदनुसार, ईएमआरएस की प्रगति/कार्यान्वयन की स्थिति को दर्ज करने के लिए एक विस्तृत दस्तावेज और रिपोर्टिंग प्रारूपों पर ईएमआरएस दिशानिर्देशों, एनईएसटीएस के उपनियमों और नियमों,

नीति आयोग के विद्यालय परफारमेंस इंडेक्स, यूडीआईएसई दस्तावेज आदि के अनुसार दस्तावेज विकसित किए गए हैं। मॉड्यूल डिजाइनिंग और वेबसाइट का विकास और उन्नति प्रगति पर हैं।

8.15 एमआईएस स्थापित करने का निर्णय लेने संबंधी तिथि, उस पर अपेक्षित व्यय, तथा उस अपेक्षित तिथि जब तक इसे स्थापित किया जाएगा के संबंध में तथा एमआईएस के माध्यम से किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य को करने की वर्तमान व्यवस्था के संबंध में विवरण देने के लिए कहे जाने पर समिति को जानकारी दी गई कि:

"एनईएसटी की स्थापना के साथ, एक एमआईएस को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, ईएमआरएस को विकसित करने का काम जनवरी 2021 में सौंपा गया था। एमआईएस वर्तमान में विकासाधीन है और विद्यालयों द्वारा कई मॉड्यूल डेटा प्रविष्टि के लिए पहले ही किए जा चुके हैं। एमआईएस का तकनीकी विकास मार्च 2022 तक पूरा होने की संभावना है।"

8.16 यह पूछे जाने पर कि क्या ईएमआरएस योजना में सुधार के बाद से अवसंरचना, विद्यालय में सुविधाओं, शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में कभी कोई शिकायत प्राप्त हुई है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसाइटियां एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वीकृत/स्थापित विद्यालयों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी।"

8.17 विद्यालयों में शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता के विषय में समिति को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

"विद्यालयों का दैनिक प्रबंधन एवं संचालन राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ईएमआरएस सोसायटी द्वारा किया जा रहा है। तथापि, सामान्य शिकायतों के निवारण के लिए, यदि कोई है, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस

सोसायटी के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।"

8.18 यह पूछे जाने पर कि खराब अवसंरचना/सुविधाओं आदि के कारण विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के कितने मामले दर्ज किए गए हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"खराब बुनियादी सुविधाओं के कारण विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में कोई विशेष उदाहरण सामने नहीं आए हैं। मंत्रालय का प्रयास रहा है कि सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।"

8.19 समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि ईएमआरएस में स्मार्ट क्लासेज और अटल टिंकरिंग लैब्स के प्रावधान और ईएमआरएस के छात्रों के लिए मोबाइल टैबलेट और शैक्षिक किट की खरीद में इतनी अधिक देरी हुई है कि कोविड महामारी के दौरान ईएमआरएस स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सका है। समिति का यह महसूस करती है कि इस देरी से छात्रों को अपूरणीय क्षति हुई है क्योंकि उन्हें समय रहते इन सुविधाओं की आवश्यकता थी जिससे वे दूरस्थ रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख पाते। समिति स्कूलों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में निरंतर होने वाले विलंब के कारणों को समझने में असमर्थ है। यह तथ्य कि ऐसे विनिर्देशों, जिनके तहत कोई भी भारतीय कंपनी बोली नहीं लगा सकी थी, के साथ दो बार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, यह दर्शाता है कि एनईएसटीएस/मंत्रालय कोविड महामारी के दौरान आदिवासी स्कूली छात्रों की शिक्षा पूरी तरह से रुक जाने की संभावना को दूर करने हेतु कोई व्यावहारिक समाधान खोजने में विफल रहे। समिति महसूस करती है कि मंत्रालय को यह समझना चाहिए कि कार्य को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के गैर-जिम्मेदराना रवैये के कारण छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समिति का मत है कि इस मामले में ढुलमुल रवैये के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। समिति पाती है कि विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी बिना किसी ठोस औचित्य के काफी समय से लंबित है। इसलिए मंत्रालय को चाहिए कि वह ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली, स्मार्ट कक्षाओं और अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित करे और निर्धारित समय सीमा के भीतर मोबाइल टैबलेट और शैक्षिक किटों की खरीद भी करे। चूंकि जनजातीय छात्र दूरदराज के क्षेत्रों से संबंधित हैं और उनके पास अपनी आवश्यकताओं को पुरजोर ढंग से व्यक्त करने के लिए

संसाधन नहीं हैं, इसलिए यह मंत्रालय का कर्तव्य बनता है कि वे समय रहते उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की ठीक तरह से पहचान करें और उन्हें पूरा करें। अतएव, समिति पुरजोर सिफारिश करना चाहेगी कि मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सभी ईएमआरएस में स्मार्ट क्लास, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करे। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की चूंकि प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसे वर्तमान में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है, स्कूलों, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित स्कूलों की निगरानी के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, बिना किसी और देरी के इसे समयबद्ध तरीके से विकसित किया जाना चाहिए।

अध्याय-नौ

ईएमआरएस का कार्य-निष्पादन

9.1 पुरानी योजना के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सहित विद्यालयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। राज्य सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। तथापि, ईएमआरएस में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनईएसटीएस ईएमआरएस विद्यालयों के लिए प्रवेश दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है। ईएमआरएस के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित प्रावधान प्रवेश से संबंधित हैं:

- लड़के और लड़कियों के लिए सीटों की संख्या बराबर होगी।
- एक विद्यालय की कुल स्वीकृत संख्या 480 छात्र होगी।
- उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर यानी कक्षा VI से X तक पर प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के 2 अनुभागों में अधिकतम 60 छात्र होंगे।
- उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा XI और XII) पर, विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी की तीन स्ट्रीम्स के लिए प्रति कक्षा तीन सेक्शन होंगे। प्रत्येक सेक्शन की अधिकतम स्वीकृत संख्या 30 छात्र होनी चाहिए। किसी सेक्शन में कमी आने की स्थिति में अन्य विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है।
- ईएमआरएस/ईएमडीबीएस की 10% सीटें गैर-अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (480 की कुल संख्या से अधिक नहीं) द्वारा भरी जा सकती हैं। ईएमआरएस/ईएमडीबीएस स्टाफ के बच्चों, वामपंथी उग्रवाद और विद्रोहियों के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों, विधवाओं के बच्चों, दिव्यांग माता-पिता के बच्चों आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 90% सीटें जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं।

9.2 स्वीकृत संख्या की तुलना में विद्यालयों में वर्तमान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी 2021-22 के दौरान, वर्तमान में 85232 छात्र विद्यालयों में नामांकित हैं। कोविड-19 की स्थिति के कारण प्रवेश प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है। वर्ष 2020-21 के दौरान, 14983 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया और 2021-22 के दौरान अब तक 3536 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है।

9.3 जहां तक कक्षा X और XII की परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का संबंध है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के कार्य-निष्पादन का उल्लेख इस प्रकार है:

- 162 ईएमआरएस के 8233 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 वीं की परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें से 7575 (92.01%) विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 3994 (53%) विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की और लगभग 1377 विद्यार्थियों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए।
- कक्षा-10 की परीक्षा में 71 ईएमआरएस ने 100% परिणाम दिए और 40 ईएमआरएस ने 95% -100% के बीच परिणाम दिए।
- 131 ईएमआरएस के 6333 विद्यार्थियों ने कक्षा 12 वीं की परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें से 5596 (88.36%) विद्यार्थियों ने कक्षा 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 3222 (58%) विद्यार्थियों ने पहला डिवीजन प्राप्त किया और लगभग 1079 विद्यार्थियों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए।
- मानविकी स्ट्रीम ने 96% का उच्चतम पास प्रतिशत दर्ज किया था, इसके बाद विज्ञान ने 90% और 73% वाणिज्य दर्ज किया था।

- 46 ईएमआरएस ने 100% परिणाम दिए और 22 ईएमआरएस ने 95% और 100% के बीच परिणाम दिए।

9.4 यह पूछे जाने पर कि क्या ईएमआरएस में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखने और विद्यालयों में भोजन, अवसंरचना आदि सहित अच्छे जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

"एनईएसटीएस की स्थापना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसाइटियों के माध्यम से विद्यालयों के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए अधिदेश के साथ की गई है। इन राज्य ईएमआरएस सोसाइटियों से निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर संबंधित राज्यों में विद्यालय का प्रबंधन किया जाना अपेक्षित है। राज्य के जनजातीय कल्याण/विकास विभाग भी विद्यालयों के प्रभावी कार्यकरण में पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। इसके अलावा विद्यालयों के पर्यवेक्षण और सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है।

इसके अलावा एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है जहां विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं, विद्यालय में अवसंरचना, उनकी योग्यता सहित शिक्षकों का विवरण संबंधित विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

9.5 यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसे कोई उदाहरण हैं जहां विद्यार्थियों ने विद्यालय से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी या बारहवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी नहीं की, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"विद्यालयों के दैनिक संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ईएमआरएस सोसायटी की है। मंत्रालय के ध्यान में विद्यालय छोड़ने का कोई विशेष मामला सामने नहीं आया है।"

9.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर के संबंध में समिति के समक्ष निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

> “हमें इसको देखना पड़ेगा। हम लोग विद्यालयवाइज इसको चेक करेंगे। यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि बच्चों का ड्रॉप रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह कहना कि ड्रॉप रेट नहीं है, तो बिना इनफोर्मेशन के हम नहीं कह सकते हैं।”

9.7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्येतर गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों के निष्पादन और ऐसे विद्यार्थियों को उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रदान किए गए किसी भी विशेष प्रशिक्षण के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

> "ईएमआरएस विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अकादमिक और पाठ्येतर गतिविधियों दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ईएमआरएस छात्र वर्ष भर कई राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भाग लेते हैं। ईएमआरएस विद्यार्थियों के प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता दी गई है। मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ईएमआरएस स्पोर्ट्स मीट और कल्चरल मीट विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। व्यावसायिक और कैरियर मार्गदर्शन, कराटे, आत्मरक्षा, कंप्यूटर और आईटी, कृषि व्यवसाय, सिलाई और डिजाइनिंग आदि जैसे कौशल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यालयों में विभिन्न कौशल विकास कार्यशालाओं जैसे रंगमंच, कला और शिल्प, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य आदि का भी आयोजन किया जा रहा है।

9.8 नवोदय विद्यालयों के सापेक्ष ईएमआरएस के कार्य-निष्पादन के संबंध में किए गए तुलनात्मक विश्लेषण के बारे में पूछे जाने पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि:

"विगत 2 वर्षों के दौरान, स्कीम के पुनरुद्धार और एनईएसटीएस की स्थापना के साथ,

सुविधाओं, शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ विद्यार्थियों के निष्पादन के मामले में ईएमआरएस को जेएनवी के बराबर लाने के प्रयास किए गए हैं।

एनईएसटीएस ने राष्ट्रीय शीर्ष निकायों और स्वैच्छिक संगठनों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), नीति आयोग, स्पोकन ट्यूटोरियल, आईआईटी-बॉम्बे, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स (आईएपीटी), आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि के साथ सहकार्य स्थापित किया है।

जेएनवी की ही तरह, प्रयोग और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई); राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी); सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग (सीसीएल), आईआईटी-गांधी नगर और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे अन्य निकायों के साथ तालमेल शुरू किया गया है। यह सब संयुक्त रूप से ईएमआरएस शिक्षकों और विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।

इसके अलावा, विद्यार्थियों को कई प्रतियोगिताओं जैसे कि गंगा क्वेस्ट, सीबीएसई-डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चैलेंज, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दक्षना छात्रवृत्ति परीक्षा आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 2019-20 में ईएमआरएस बोर्ड परिणामों में कक्षा 10 के लिए 92.01% परिणाम सामने आए; जबकि कक्षा 12 बोर्ड के परिणामों में 88.36% परिणाम आए। बोर्ड कक्षाओं में हमारे विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

9.9 समिति ने परीक्षाओं के साथ-साथ पाठ्येतर कार्यलापों में ईएमआरएस छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की और यह मत व्यक्त किया कि छात्रों को समय पर अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए अब विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तथापि, समिति इस बात से आश्चर्यचकित है कि जबकि ईएमआरएस को जेएनवी के समतुल्य बनाने का लक्ष्य है, एनईटीएस द्वारा प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किया जाना अभी तक शेष है और समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी अभी विकसित किया जा रहा है। समिति इस बात से अवगत है कि स्कूलों का प्रबंधन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, यह सुनिश्चित करना कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे की एकरूपता अब

एनईएसटीएस की जिम्मेदारी है। अतएव, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि एनईएसएस द्वारा समयबद्ध तरीके से प्रवेश संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ईएमआरएस में समान रूप से लागू किया जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपने स्वयं के दिशा-निर्देशों का पालन करने का अर्थ स्कूलों में प्रवेश के लिए एकसमान प्रक्रिया के उद्देश्य की अनदेखी करना होगा। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि ऑनलाइन पोर्टल को शीघ्रता से विकसित किया जाए ताकि संबंधित स्कूलों द्वारा संभावित छात्रों/शिक्षकों के लाभ के लिए छात्रों को उपलब्ध सुविधाओं, स्कूलों में अवसंरचना, उनकी योग्यता सहित शिक्षकों के ब्यौरे पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा सकें।

अध्याय - दस

खेल-कूद उत्कृष्टता केंद्र

10.1 इसका उद्देश्य भारतीय खेल प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण, बोर्डिंग और आवास सुविधाओं, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता एक्सपोजर, बीमा, चिकित्सा व्यय आदि के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं, उपकरणों और वैज्ञानिक बैकअप के साथ खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समर्पित अवसंरचना स्थापित करना है। इस उत्कृष्टता केंद्र में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहचान किए गए एक व्यक्तिगत खेल और एक समूह खेल के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। खेल के लिए सीओई एक मौजूदा या प्रस्तावित ईएमआरएस के साथ सह-स्थित होगा। सुविधाएं न केवल ईएमआरएस के विद्यार्थियों तक सीमित होंगी, बल्कि एनईएसटी द्वारा तय किए जाने वाले अल्प शुल्क (यदि व्यवहार्य हो) पर अन्य विद्यार्थियों के लिए भी खुली होंगी। भारतीय खेल प्राधिकरण के परामर्श से एनईएसटीएस द्वारा खेलों के लिए सीओई के प्रबंधन के संबंध में विस्तृत मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।

10.2 स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर और यह पूछे जाने पर कि इन विद्यालयों में वर्तमान में खेलों की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा रहा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

> "प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दो अभिनिर्धारित खेलों (एक समूह खेल और एक व्यक्तिगत खेल सहित) के लिए विशेषीकृत अत्याधुनिक सुविधाओं सहित सभी संबंधित अवसंरचनाओं (भवनों, उपस्करों आदि) के साथ जनजातीय बहुल जिलों में खेलों के लिए 15 उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में खेलों के लिए दो सीओई के लिए प्रारंभिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस पहल को प्रभावशाली बनाने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वय के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और ऐसे केन्द्रों की स्थापना के

लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है। खेल के लिए सुविधाएं सभी ईएमआरएस में एक अंतर्निहित घटक है। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नियमित कोचिंग दी जा रही है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मंच देने के लिए दो राष्ट्रीय स्तर के ईएमआरएस स्पोर्ट्स मीट का भी आयोजन किया गया है।

10.3 यह पूछे जाने पर कि क्या दो सीओई स्थापित करने हेतु जिलों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:

"भारतीय खेल प्राधिकरण के परामर्श से खेलों के लिए सीओई की स्थापना की जा रही है। सीओई का स्थान संबंधित राज्य द्वारा तय किए गए मौजूदा ईएमआरएस के भीतर भूमि की उपलब्धता पर आधारित है।"

10.4 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रस्तावित सीओई और विशेषीकृत अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय प्राक्कलन/आवंटन के संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में यह जानकारी दी कि:

"स्वीकृत दो सीओई में प्रत्येक को 127 लाख रुपये की अग्रिम राशि जारी की गई। देश में 15 सीओई स्थापित करने की योजना है। 2021-22 से 2025-26 के दौरान ईएमआरएस की योजना को जारी रखने के लिए कैबिनेट नोट में वित्तीय प्रावधानों को शामिल किया गया है।"

10.5 यह पूछे जाने पर कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच कौन सी खेल गतिविधियाँ सामान्य हैं और क्या सभी विद्यालयों में ऐसे खेलों के लिए कोच आदि सहित आवश्यक बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

"ईएमआरएस में विद्यार्थियों के लिए कुछ खेलों में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी,

खो-खो, तीरंदाजी, हॉकी, टेबल-टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालयमें शारीरिक शिक्षा अध्यापक (पीईटी) का प्रावधान है। संबंधित राज्यों द्वारा,विभिन्न खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षक (कोच) और अनुदेशक भी जहां आवश्यक हो, नियुक्त किए जाते हैं।"

10.6 समिति यह नोट कर चकित है कि मंत्रालय एक अभिनिर्धारित वैयक्तिक खेल और एक समूह खेल के लिए खेलों के साथ खेलों के लिए दो विशेष अत्याधुनिक उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना के लिए स्थान की पहचान कर नहीं कर पाया है, जिसके लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जनजातीय बहुल जिलों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित पंद्रह ऐसे केन्द्रों में से जिनके लिए प्रारंभिक स्वीकृति जारी कर दी गई है और 127 लाख रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। समिति यह जानकर चिंतित है कि 'खेलो इंडिया कार्यक्रम' के अंतर्गत सहयोग के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श अभी भी चल रहा है और ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए विस्तृत मानक प्रक्रिया तैयार नहीं की गई है। जबकि मंत्रालय दो सीओई की स्थापना के लिए स्थानों का निर्धारण ही नहीं कर सका है, समिति स्वीकृत दोनों सीओई के लिए 127 लाख रुपये की अग्रिम राशि जारी करने और 2021-22 से 2025-26 के दौरान ईएमआरएस को जारी रखने के लिए कैबिनेट नोट में वित्तीय प्रावधान को शामिल करने के उद्देश्य को समझने में असमर्थ है। समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि सभी 15 सीओई स्थापित करने में कितना समय लगेगा। समिति विलंब के वित्तीय निहितार्थ को लेकर भी चिंतित है क्योंकि यदि निर्णय लेने में बहुत अधिक विलम्ब होता है तो ऐसे केन्द्रों की लागत में काफी वृद्धि होने की संभावना है। अतएव, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए उस रूपरेखा को अंतिम रूप देने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे जिससे न केवल दो सीओई के लिए स्थान का निर्धारण हो सके बल्कि सभी 15 सीओई के लिए स्थान निर्धारित हो जाए और सभी सीओई के कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए।

अध्याय-ग्यारह

ईएमआरएस का सीबीएसई से संबद्ध होना

11.1 मानदण्डों के अनुसार स्थापित सभी ईएमआरएस को सीबीएसई से संबद्ध किया जाना है। एनईएसटीएस ने पहले ही 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसाइटियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शेष 3 राज्यों नामत: बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को सीबीएसई बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम स्तर पर कार्यवाई की जा रही है। तथापि, ये राज्य इन विद्यालयों में राज्य बोर्ड पाठ्यचर्या जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। चूंकि इन राज्यों ने समझौता ज्ञापान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए उन्हें पुरानी दरों पर भुगतान किया जा रहा है। समझौता ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनईएसटीएस जिम्मेदार है। ईएमआरएस में शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए इन राज्यों को समझौता ज्ञापान पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

11.2 उन कारणों के विषय में पूछे जाने पर जिनके कारण सभी विद्यालय आज तक सीबीएसई से संबद्ध नहीं हुए हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष जानकारी दी कि:

> “हम लोग उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं। उनको सीबीएसई में करने के लिए एक प्रोसेस होता है। विद्यालयों से पूरी डिटेल्स आती है, राज्य सरकार को रेकमेंड करना होता है। फिर सीबीएसई क्राइटेरिया देखता है कि वहां पर कितने बच्चे और कितने टीचर्स हैं। इसमें इसी लिए थोड़ी देर हो रही है, लेकिन इसमें समस्या नहीं है। कुछ एक राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने कहा है कि हम सीबीएसई में नहीं जाएंगे।”

11.3 उन्होंने आगे बताया कि:

> “बिहार ने सीबीएसई में जाने से मना किया है। हम लोग बिहार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने भी मना किया है । तमिलनाडु ने भी मना किया है। हम लोग

राज्यों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये राज्य सीबीएसई को मान लें, तो नवोदय विद्यालय में जैसा स्टैंडर्ड है, वैसा ही स्टैंडर्ड एकलव्य में भी हो जाएगा, लेकिन दो-तीन राज्यों से थोड़ा और डिस्कशन कर के उनको मनाने की आवश्यकता है।"

11.4 मंत्रालय द्वारा इन राज्यों को बोर्ड में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विचार-विमर्श के दौरान समिति के समक्ष यह जानकारी दी कि:

"हम लोग इसको काफी गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोग यह चाहते हैं कि सभी राज्य सीबीएसई पैटर्न पर चले आएं। इसका एक लाभ यह भी है कि सीबीएसई में आने से हम लोग उन्हें प्रति बच्चा 1,09,000 रुपये देते हैं। अगर सीबीएसई में नहीं आएंगे, तो उन लोगों को पुराने पैटर्न के अनुसार थोड़ा कम पैसा मिलेगा। हम लोग इन तीनों राज्यों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे हमारे साथ आ जाएंगे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा।"

11.5 समिति को यह जानकर आश्चर्य है कि 3 राज्यों नामत: बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अभी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और वे सीबीएसई बोर्ड में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं तथा अपने राज्यों में स्थापित स्कूलों में राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम को जारी रखने पर जोर दे रहे हैं जबकि मानदण्डों में यह निर्धारित किया गया है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले प्रति बच्चे को बेहतर राशि प्रदान करने के लिए स्थापित सभी ईएमआरएस को सीबीएसई से संबद्ध किया जाना है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय राज्यों के साथ इस बात को पुरजोर तरीके से उठाए और उन्हें एनईएसटीएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक समयसीमा प्रदान करे ताकि स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए उन पर सीबीएसई बोर्ड के साथ स्कूलों की संबद्धता सहित स्थापित मानदंड लागू हों और इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मानकीकृत शिक्षा मिले तथा देश के सभी ईएमआरएस में शिक्षा का एक समान स्तर स्थापित किया जा सके। समिति सिफारिश करती है कि इस मुद्दे पर उन्हें साथ लाने के लिए मंत्रालय राज्यों के साथ उच्च स्तर पर इस मामले को आगे बढ़ाए और इस मुद्दे को त्वरित रूप से सुलझाए।

नई दिल्ली;
<u>मार्च, 2022</u>
चैत्र, 1944 (शक(

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति